वर्ष : 41; अंक : 4 ; अप्रैल : 2019; मूल्य : दस रुपए

सीटू मजदूर

श्रमिकों के मांगपत्र पर राष्ट्रीय कन्वेन्शन

(रिपोर्ट पृ. 5)

जनता के बाढ़ राहत कोष में श्रमिकों का योगदान

देश भर में सीटू राज्य कमेटियों द्वारा एकत्र किए गए और केरल राज्य कमेटी के माध्यम से भेजे गए रु० 62 लाख से अधिक, सीटू नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को सौंप दिए गए थे। *(बाएं से)* टी.पी. रामकृष्णन (श्रम मंत्री), ई. करीम, पिनारयी विजयन, ए. आनंदम और के.जे. थॉमस। श्रमिकों के योगदान को सीधे अन्य कमेटियों के माध्यम से भी भेजा गया था।

पश्चिम बंगाल में जूट मजदूरों की हड़ताल

(रिपोर्ट पृ. 20)

लाडलो जूट मिल के गेट पर हड़ताली मजदूरों को सम्बोधित करते सीटू के राज्य महासचिव अनादि साहू

त्रिची में बी.एच.ई.एल मजदूरों की हड़ताल (तमिलनाडु)

(रिपोर्ट पृ. 18)

सीटू मजदूर

सीआईटीयू का मुखपत्र

अप्रैल 2019

सम्पादक मण्डल

सम्पादक

के हेमलता

कार्यकारी सम्पादक

जे एस मजुमदार

सदस्य

तपन सेन,

एम एल मलकोटिया,

कश्मीर सिंह ठाकुर,

पुष्पेन्द्र त्यागी,

एच.एस.राजपूत

अंदर के पृष्ठों पर

17वीं लोकसभा के चुनावों में राष्ट्रीय विकल्प के लिए श्रमिकों का चार्टर 5

श्रम मामलों के प्रति उलटा रवैया —के.आर. श्याम सुंदर 8

प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना की पोल खोलो —ए.आर. सिंधु 10

8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 13

उद्योग व क्षेत्र 14

राज्यों से 20

अंतर्राष्ट्रीय 24

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 26

सम्पादकीय

भाजपा हराओ; लोकतंत्र और जनता की एकता की हिफाजत करो एक जनोन्मुखी विकल्प हासिल करो

भाजपा–आरएसएस और उनकी मोदी सरकार ने भारत के लोगों के खिलाफ एक अघोषित युद्ध छेड़ा हुआ है। वे आरएसएस की घृणित विचारधारा की नीति पर चलते हुए ''अंदरूनी दुश्मन'' का अभियान छेड़े हुए हैं। यह लोकतंत्र का विलोम है और ताकत के जबरिया इस्तेमाल के साथ आवश्यक रुप से जुड़ा है। ''अंदरूनी दुश्मन'' का यह अभियान ''राष्ट्रभक्ति'' के लिफाफे से ढँका हुआ है।

नोटबंदी किसलिये; ''अंदरूनी दुश्मन'' था इसलिए . पुलवामा और पुलवामा के बाद के पीछे; ''अंदरूनी दुश्मन'' वे भारतीय नागरिक हैं मगर कश्मीरी हैं इसलिए ''अंदरूनी दुश्मन'' हैं। वे भारतीय नागरिक हैं मगर मुसलमान हैं इसलिए ''अंदरूनी दुश्मन'' हैं। वे सामाजिक रूप से उत्पीड़ित हैं मगर ''अंदरूनी दुश्मन'' हैं क्योंकि वे रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या का सवाल उठाते हैं; भीमा कोरेगांव लड़ाई की जयन्ती मनाते हैं; मनुवाद और समाज की ब्राह्मणवादी धारणा का विरोध करते हैं। उनके लिए आदिवासी भी आदिवासी नहीं हैं, वनवासी हैं, अवर्ण हैं, वे उनके वर्ण विभाजित समाज का हिस्सा तक नहीं है; इसलिए ''अंदरूनी दुश्मन'' हैं।

चूंकि उनकी विचारधारा ही लोकतंत्र का विलोम है इसलिए उन्हें बहस और आलोचना की समझदारी ही कबूल नहीं है। वे देश के संघीय ढाँचे के खिलाफ है और एकछत्र राज के हामी हैं। केंद्रीकृत सत्ता के लिए उन्होंने एक–एक करके सभी संवैधानिक संस्थाओं को क्षीण और कमजोर करके रख दिया है। इसके लिए उन्होंने कमजोर और वंचित जनता, आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर और खतरे में पड़े तबकों; अल्पसंख्यकों और हाशिए पर पड़े तबकों को अपने दुश्मन के रूप में चुन लिया है।

अम्बानी से अडानी इत्यादि तक होते हुए दरबारी पूँजीवाद इनका एक महत्वपूर्ण पहलू है। लिहाजा इनके दुश्मन मजदूर और समाज के मेहनतकश हिस्से हैं, वे तमाम लोग हैं जो विविधता में एकता और देश की एकता की बात करते हैं।

इसलिए जरूरी हो जाता है कि जिन्हें उन्होंने अपने दुश्मन के रूप में चुन रखा है वे सब हाथ मिलायें और इन्हे इनके बोरिया–बिस्तर सहित उखाड़ फेंकें। लोकतांत्रिक जरियों का इस्तेमाल करते हुए लोकतंत्र की हिफाजत की जानी चाहिये। वरना साक्षी महाराज कह ही चुके हैं कि दूसरा मौका शायद ही मिले।

17वीं लोकसभा के चुनावो में इन्हें हराइये!

- **भाजपा को शिकस्त दीजिये ।**
- **लोकतंत्र और जनता की एकता की हिफाजत कीजिये,**
- **एक जनोन्मुखी विकल्प हासिल कीजिये।**

शोक संवेदना

कामरेड अजीत मुखर्जी

सीटू ने एक शोक संवेदना संदेश में कहा कि स्टील वर्कर्स यूनियन और दुर्गापुर में उसके आंदोलन के दिग्गज नेता कामरेड अजीत मुखर्जी का निधन, 3 मार्च, 2019 को हुआ, मजदूर वर्ग के आंदोलन के लिए एक बड़ा नुकसान है।

कॉमरेड अजीत मुखर्जी साठ और सत्तर के दशक के अंत में दुर्गापुर में स्टील वर्कर्स के आंदोलन का निर्माण करने वाले उन दिग्गजों और अग्रदूतों में से एक थे, जिन्होंने शारीरिक हमलों, घातक आक्रमणों और अत्याचारों का समाना किया था। उन्होंने पूरे इस्पात उद्योग में सीटू के विस्तार और समेकन में अग्रिम भूमिका निभाई। वह स्टील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के संस्थापक पदाधिकारियों में से एक थे और अंतिम समय तक इसके उपाध्यक्ष के रूप में आंदोलन का मार्गदर्शन करते रहे।

सीटू उनके सभी साथियों और परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है और दिवंगत नेता की याद में श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

ई.एस.आई.सी. के कुछ निर्णय

19 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित ईएसआईसी की 177वीं बैठक में, मजदूर प्रतिनिधियों द्वारा उठाये गये और लंबित मुद्दों पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :

1. आश्रित माता–पिता के उपचार की पात्रता के लिए, बीमित व्यक्ति की मासिक आय की ऊपरी सीमा रु० 5000 से बढ़ाकर रु० 9,000 कर दी गई है।
2. ईएसआई कवरेज के क्षेत्रों में और बीमित व्यक्तियों की संख्या में वर्षद्धि के साथ, मैदानी क्षेत्रों में 20, 000 से अधिक बीमित व्यक्तियों और पहाड़ी क्षेत्रों में 15, 000 से अधिक बीमित व्यक्तियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ, 30 बिस्तरों वाले ईएसआई अस्पताल खोले जायेंगे। इन मानदंडों के तहत, मौजूदा 6 बिस्तरों वाले अस्पतालों और डिस्पेंसरियों को 30 बिस्तरों वाले अस्पतालों में अपग्रेड किया जाएगा।
3. बीमित व्यक्ति के सुपर स्पेषलिटी सेवाओं के हकदार होने की पात्रता के लिए सेवा अवधि को कम करके, पंजीकरण की तारीख से 6 महीने की सेवा (योगदान के 78 दिन) और उसके परिजनों के लिए 156 दिन की सेवा (प्रत्येक योगदान अवधि में 78 दिन) कर दिया गया है।
4. कर्मचारियों और नियोक्ताओं के योगदान की दर को 1 अप्रैल, 2019 से क्रमशः 1.75% और 4.75% से कम करके 1% और 4% कर दिया गया है।
5. आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद, चूंकि हैदराबाद स्थित मौजूदा ईएसआईसी अस्पताल तेलंगाना में है, इसलिए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक ऐसा ही अस्पताल स्थापित किया जाएगा।
6. प्रणाली को कारगर बनाने के लिए, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों से ईएसआई और पीएफ दोनों के लिए योगदान एकल ईसीआर (इलेक्ट्रॉनिक चालान–कम–रिटर्न) के माध्यम से एकत्र किए जाएंगे।

(योगदानः प्रशांत एन चौधुरी, ईएसआईसी में सीटू प्रतिनिधि)

आय असमानता

सबसे अमीर 10% भारतीयों के पास देश की 77.4% संपत्ति है।

सबसे अमीर 1% के कब्जे में 51.5% है।

सबसे निचले 60%, अर्थात् जनसंख्या के बहुमत के पास सिर्फ 4.7% है।

"जबकि हर कोई इन दिनों विकास के बारे में बात तो करता है, लेकिन क्रेडिट सुइस के आँकड़ों से एक जायज सवाल उभरता हैः हम किसके विकास के बारे में बात कर रहे हैं? क्या यह विकास शीर्ष के 1% या 10% का अथवा सबसे गरीब 60% के विकास का है?" *(क्रेडिट सुइस की ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2018 से; लाइवमिंट 23 अक्टूबर, 2018 से)*

17वीं लोकसभा का चुनाव

राष्ट्रीय विकल्प के लिए वर्कर्स चार्टर

इंटक, एटक, एच.एम.एस., ए.आई.यू.टी.यू.सी., सीटू, ए.आई.सी.सी.टी.यू., यू.टी.यू.सी., एल.पी.एफ., टी.यू.सी.सी. और सेवा इत्यादि 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के लगभग एक हजार अलग–अलग स्तर के पदाधिकारी और बैंक, बीमा, रक्षा, केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के स्वतंत्र राष्ट्रीय फेडरेशनों ने; 5 मार्च को नई दिल्ली के कन्स्टीट्यूशन क्लब के सभागार में आयोजित किए गए एक सम्मेलन में शिरकत की।

सम्मेलन ने सर्वसम्मति से एक घोषणापत्र को स्वीकारा जिसमें देश के मजदूरों को, केंद्र में बैठी भाजपा सरकार की जनविरोधी, मजदूर विरोधी और देश विरोधी नीतियों के खिलाफ 8–9 जनवरी 2019 को दो दिवसीय देशव्यापी आम हड़ताल की सफलता के लिए बधाई दी। आगामी संसदीय चुनाव में भाजपा की हार सुनिश्चित करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू करने के लिए मजदूर वर्ग का आह्वान किया गया है सम्मेलन में शामिल सभी फेडरेशनों और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए।

घोषणापत्र में जनता के लिए वैकल्पिक आर्थिक नीति के लिए 31 सूत्रीय वर्कर्स चार्टर भी शामिल हैं; और राजनीतिक दलों से आग्रह किया गया है कि वे अपने चुनाव घोषणापत्र में इन माँगों को शामिल करें; और विकल्प के लिए इन माँगों को लेकर देश भर में बड़े पैमाने पर देशव्यापी अभियान शुरू करने का आह्वान किया।

कन्वेंशन की अध्यक्षता 10 सदस्यीय अध्यक्षमण्डल ने की, जिसमें सीटू अध्यक्ष हेमलता और मोहन शर्मा (एटक), दीपक शर्मा (इंटक), सी.ए.आर. श्रीधर (एच.एम.एस.), आरके शर्मा (ए.आई.यू.टी.यू.सी.), प्रबीर बनर्जी (टी.यू.सी.सी.), लता (सेवा), संतोष राय (ए.आई.सी.सी.टी.यू.), जवाहर सिंह (एल.पी.एफ.) और अशोक घोष (यू.टी.यू.सी.) शामिल थे।

सीटू महासचिव तपन सेन, अमरजीत कौर (एटक), अशोक सिंह (इंटक), हरभजन सिंह सिद्धू (एच.एम.एस.), सत्यवान सिंह (ए.आई.यू.टी.यू.सी.), जी. देवराजन (टी.यू.सी.सी.), सोनिया जॉर्ज (सेवा), राजीव डिमरी (ए.आई.सी.सी.टी.यू.), राशिद खान (एल.पी.एफ.) और शत्रुजीत (यू.टी.यू.सी.) ने *वर्कर्स चार्टर* के समर्थन में और चुनाव में भाजपा की हार के लिए सम्मेलन को संबोधित किया।

वर्कर्स चार्टर मजदूरों की 12 सूत्रीय माँगों का एक विस्तारित रुप है, जिसके लिए देश का पूरा ट्रेड यूनियन आंदोलन 8–9 जनवरी, 2019 की आम हड़ताल सहित कई वर्षों से लड़ रहा है। वर्तमान भाजपा के नेतृत्व में नवउदारवाद के एजेण्डे को आक्रामक तरीके से चलाया जा रहा है। जिसके चलते मजदूरों और किसानों के विशाल बहुमत की कीमत पर कुछ ही हाथों में धन की एकाग्रता बढ़ रही है और असमानताऐं बढ़ते हुए अश्लील ऊंचाइयों को छू रही हैं। देश के पास *'वर्कर्स चार्टर'* में उठायी गयी माँगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं।

मजदूरों का माँग पत्र

- राप्टाकॉस एंड ब्रेट मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तय करें, जिसे बाद के 45वें और 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन में एकमत से दोहराया गया है;
- स्थायी प्रकृति के कार्य में ठेका श्रम प्रणाली को समाप्त करना और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार स्थायी श्रमिकों के समान काम करने वाले ठेका मजदूरों को समान वेतन एवं हितलाभों को लागू करो;
- स्थायी और बारहमासी प्रकृति की नौकरियों की आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी पर रोक लगे;
- संविधान के अनुसार, और समान पारिश्रमिक अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी दोहराया गया, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन का सख्ती से कार्यान्वयन हो;
- स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार किसानों की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, सार्वजनिक खरीद प्रणाली को मजबूत करो;

- किसानों को ऋण माफी और छोटे और सीमांत किसानों के लिए संस्थागत ऋण सुनिश्चित करो;
- खेत मजदूरों सहित सभी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कामकाजी परिस्थितियों को कवर करने वाला व्यापक कानून हो;
- आवश्यक वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए तत्काल ठोस उपाय करें; आवश्यक वस्तुओं में सट्टा व्यापार पर प्रतिबंध; सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार और मजबूत करना; पीडीएस की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार से जोड़ने की अनिवार्यता समाप्त हो;
- श्रम गहन प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों के माध्यम से बेरोजगारी पर रोक लगायें; नियोक्ताओं को वित्तीय सहायता को रोजगार सृजन के साथ जोड़ा जाये; सरकारी विभागों में सभी रिक्त पदों को भरा जाये; सरकारी पदो ंके 3% वार्षिक समर्पण और भर्ती पर प्रतिबंध को हटाया जाये;
- सभी को सूचकांकित पेशन रु० 6,000 प्रतिमाह को सुनिश्चित किया जाये;
- विभिन्न सरकारी योजनाओं में कार्यरत कर्मियों को, जिनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत आंगनवाड़ीकर्मी और सहायिका, आशा, मध्यान्ह भोजन श्रमिक, पैरा शिक्षक, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के शिक्षण और गैर–शिक्षण कर्मचारी, आदि और अन्य शामिल हैं, को मजदूर के रूप में मान्यता दी जाये और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान एवं उन सभी को पेंशन आदि सहित सामाजिक सुरक्षा लाभ को सुनिश्चित किया जाये;
- फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट' के प्रावधान को तुरंत को निरस्त किया जाये जो कि आई.एल.ओं. की सिफारिश 204 की मूल भावना का उल्लंघन है जिसे भारत ने अंगीकार किया है;
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश/रणनीतिक बिक्री को रोका जाये; सार्वजनिक हित में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रमों को पुनरुद्धार पैकेज दिये जायें;
- बीमार जूट उद्योगों और चाय बागानों के पुनरुद्धार और संचालन, क्योंकि इन उद्योगों में हजारों मजदूर बंद होने के कारण संकट, कुपोशण और मौतों का सामना कर रहे हैं;
- रेलवे, रक्षा, पोर्ट एण्ड डॉक, बैंकों, बीमा, कोयला आदि के निजीकरण के निर्णय को रद्द करें। कोयला खानों के वाणिज्यिक खनन की अनुमति देने के निर्णय को तुरंत रद्द करें;
- प्रतिरक्षा उत्पादन का निजीकरण करना और रक्षा इकाइयों को बंद करना। प्रतिरक्षा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राज्य स्वामित्व वाले रक्षा उद्योग को मजबूत और विस्तारित करें;
- बैंकों के खराब ऋणों की वसूली के लिए कड़े कदम, जानबूझकर कॉरपोरेट बकायेदारों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करना, पेनल्टी और उच्च सेवा शुल्क के माध्यम से बैंकों के बुरे ऋणों के बोझ को जनता पर डालना बन्द करें; सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय और समामेलन रोकें; बैंक शाखाओं का बंद होना रोका जायें; मुद्रास्फीति की दर को पूरा करने के लिए बैंक जमा पर ब्याज दर बढ़ाऐं;
- सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण बिना किसी सामर्थ्य शर्त पर जोर दिए बिना ही निश्चित समय सीमा में हों;
- मोटर वाहन अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2017, और बिजली (संशोधन) विधेयक, 2018 को वापस लें;
- 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों से संबंधित, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मुद्दों को तुरंत हल किया जाये;
- एनपीएस को समाप्त करके पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाये;
- श्रम कानूनों और संहिताओं में मजदूर–विरोधी और मालिकान–समर्थक संशोधन रोके जायें; मौजूदा श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करना सुनिश्चित किया जाये।
- महिला मजदूरों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश, मातृत्व हितलाभ और क्रेच सुविधाएं लागू किया जाये। सरकार द्वारा प्रस्तावित मातृत्व लाभ अधिनियम के संशोधित प्रावधान का पालन करने वाले नियोक्ताओं को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए;
- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम का सख्त कार्यान्वयन हो; राजनीतिक भागीदारी को तत्काल बढ़ाने के लिए, राज्य विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करें;
- कार्यस्थल अधिनियम में महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम का सख्त कार्यान्वयन;
- घरेलू कामगारों पर आई.एल.ओ. कन्वेंशन 189 के साथ ही संगठित होने की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी पर आई. एल.ओ. कन्वेंशन 87 और 98 को फिर से अंगीकार करें;

- एक संहिता में 13 अधिनियमों के विलय के माध्यम से ओएसएच और कल्याण प्रावधानों को कम करने; मौजूदा अधिनियमों और नियमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने; कारखाना निरीक्षकों, खान निरीक्षकों आदि के रिक्त पदों और निरीक्षणों पर प्रतिबंध; ओ.एच.एस. और पर्यावरण से संबंधित आई.एल.ओ. कन्वेंशन सी–155 और 164 की सिफारिशों की पुष्टि करें; दुर्घटना के कारण मानव और वित्तीय हानि का त्रिपक्षीय ऑडिट अनिवार्य होना चाहिए;
- द्विपक्षीयता और त्रिपक्षीयता को मजबूत करें; हर प्रतिष्ठान में नियोक्ताओं द्वारा ट्रेड यूनियन की मान्यता अनिवार्य करें; ट्रेड यूनियनों के साथ चर्चा के माध्यम से आम सहमति के बिना श्रम से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए, श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित, सार्थक सामाजिक संवाद सुनिश्चित करें;
- कॉपोरेट्स को दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती करें;
- संविधान में संशोधन करके काम करने के अधिकार को मौलिक अधिकार का रुप दिया जाये;
- मनरेगा के तहत 300 दिन का काम; शहरी क्षेत्रों को कवर करने के लिए समान कानून बनाना; न्यूनतम मजदूरी तय करें जो राज्य के न्यूनतम मजदूरी से कम न हो;
- मैला ढोने की अमानवीय प्रथा को रोकने के लिए कड़े कदम; सीवर की सफाई करते समय मरने वाले के परिवारों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार मुआवजा देय हो;
- एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम का सख्त कार्यान्वयन;
- एस.सी./एस.टी. के लिए आरक्षित पदों में सभी बैकलॉग को तुरंत भरें; निजी क्षेत्र के रोजगार में भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए नौकरियों में आरक्षण हो;
- आदिवासियों को उनके आवास से बेदखल न किया जाये, आदिवासियों के लिए वन अधिकार अधिनियम का सख्त कार्यान्वयन हो;
- अंतर–जातीय और अंतर–धार्मिक विवाह के लिए चुनने वाले जोड़ों की रक्षा करना; तथाकथित 'ऑनर किलिंग' को प्रोत्साहित/समर्थन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें;
- बलात्कार के सभी दोषियों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के अन्य मामलों के लिए सख्त सजा सुनिश्चित करें; महिलाओं की सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अपराधों को ''दुर्लभतम दुर्लभ'' के रूप में मृत्युदंड दिया जाए;
- संविधान के अनुच्छेद 51 ए के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना, जो सभी नागरिकों को सद्भाव, सामान्य भाईचारे की भावना, विविधताओं को बढ़ावा देने और धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय और अनुभागीय संस्कृति को स्थानांतरित करने और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक नीतियों को अस्वीकार करने के लिए कहता है;
- तकनीकी शिक्षा के साथ–साथ बारहवीं कक्षा तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा; शिक्षा के बजट का आवंटन सकल घरेलू उत्पाद का 10 प्रतिशत होना चाहिए;
- सभी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल; विशेष रूप से ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना; स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय को जीडीपी के 5 प्रतिशत तक बढ़ाऐं;
- पीने योग्य पानी पूरी आबादी को उपलब्ध कराया जाऐ;
- सड़क विक्रेताओं का संरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए; राज्यों को उसी के अनुसार नियम बनाने चाहिए;
- घरेलू आधारित मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए जो महिला वर्चस्व वाला सेक्टर है, आई.एल.ओ. कन्वेंशन 177 जो घरेलू आधारित मजदूरों के लिए है, एक अधिनियम के साथ पुष्टि की जाऐ;
- मजदूरों के कल्याण के लिए गठित सभी कल्याण बोर्डों में सक्रिय और प्रभावी भागीदारी होनी चाहिए; बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत एकत्र की गई उपकर की अप्रयुक्त राशि मजदूरों के कल्याण पर ही खर्च की जानी चाहिए; कल्याण बोर्डों में मजदूरों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए; बोर्डों के कामकाज को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि मजदूर इस बोर्ड के साथ पंजीकृत हो सकें और कल्याणकारी लाभों तक आसान पहुंच बना सकें;
- राज्यों को सभी स्तरों पर शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अपशिष्ट पुर्ननवीनीकरण को शामिल करने के लिए नियम बनाने का निर्देश सरकार को देना चाहिए;
- कार्यशील पत्रकार अधिनियमों में सभी मीडिया संगठनों के पत्रकारों और कामगारों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि उनको अच्छा वेतन मजदूरी नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके; मीडिया संगठनों में वेतन को संशोधित करने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पत्रकारों के लिए नए वेतन बोर्ड का गठन किया जाये।

श्रम मुद्दों के प्रति एक उलटा दृष्टिकोण

के.आर. श्याम सुंदर

नीति आयोग इस पथभ्रष्ट धारणा पर अटका हुआ है कि कौशल और अन्य कारकों की अनदेखी करके 'श्रम लचीलापन' निवेश को बढ़ावा देगा।

नीति आयोग ने भारत को 9–10 प्रतिशत की विकास दर पर सवारी करने वाली लगभग 4–ट्रिलियन अमरीकी डालर के आकार की अर्थव्यवस्था के लिए अपनी रणनीति की रूपरेखा तैयार की है जो बदले में 2022–23 तक निर्यात राजस्व को दोगुना होकर 800 बिलियन अमरीकी डालर के बराबर और 36 प्रतिशत के करीब की निवेश दर के चरम पर पहुंच जाएगी। उम्मीद है कि यह आर्थिक चमत्कार ''समावेशी, निरंतर, स्वच्छ और औपचारिक'' होगा।

इस बड़ी रणनीति के एक पहलू का तात्पर्य अच्छी गुणवत्ता की नौकरियों और महिला कार्य सहभागिता दरों में वृद्धि से है। श्रम और रोजगार के संबंध में इसकी रणनीति दो विरोधाभासी धारणाओं पर आधारित है। एक, रोजगार सृजन के लिए आर्थिक विकास आवश्यक है। दो, श्रम लचीलेपन की कमी, विकास और नौकरियों के निर्माण के कदमों में मुख्य बाधा है।

2000 के दशक के दौरान भारत की रोजगारविहीन विकास की कहानी ने नीति आयोग को अपने दृष्टिकोण में और अधिक बारीकियों के लिए प्रेरित किया है। विकास और नौकरियों के बीच संबंध एक रैखिकीय नहीं है। नीति आयोग अर्थव्यवस्था और श्रम बाजार में सभी बीमारियों के लिए श्रम कानूनों को दोष देने में अकेला नहीं है।

पिछले सितम्बर में अटल बिहारी बीमित व्यक्ति कल्याण योजना शुरू करते हुए, केंद्र ने माना था कि ''भारत में रोजगार का वर्तमान स्थिति .... एक लम्बी अवधि के रोजगार से परिवर्तित होकर तय अवधि के राजगार में बदल गई है और इसका स्वरुप ठेके का व अस्थायी है'', और इस प्रकार केन्द्र ने इस व्यवस्था की प्रकृति को स्वीकार किया है।

केंद्र ने बाकायदा पिछले मार्च में अधिसूचना जारी कर राज्यों को औपचारिक रूप से एफ.टी.ई. को स्वीकारने के लिए प्रोत्साहित किया।

केंद्र को यह समझना जरूरी है कि श्रम के लचीलेपन ने उच्च निवेश जैसे इच्छित नतीजे नहीं दिये हैं। ''रोजगार व आजीविका सृजन'' पर सी.आई.आई. व नीति आयोग द्वारा फरवरी 2018 में आयोजित एक सम्मेलन में पूर्व श्रम सचिव सत्यवती ने कहा कि राजस्थान और अन्य राज्यों में अध्याय V–बी में किये गये संशोधन से इन राज्यों में ज्यादा निवेश आने में कोई खास मदद नहीं मिली है।

वीवी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संजय उपाध्याय और पंकज कुमार ने 2017 में किए गए एक अध्ययन में निष्कर्ष निकाला है कि, ''अपनी ताकत के बलबूते, श्रम कानूनों में किये गये ये संशोधन न तो बड़ा निवेश आकर्षित करने में सफल हुऐ हैं, और ना ही इनसे औद्योगिकीकरण या रोजगार सृजन को ही गति देने में मदद मिली है, त्वरित औद्योगिकीकरण, निवेश में वृद्धि व रोजगार सृजन अंततः आधारभूत ढांचे का विकास, कानून व्यवस्था की संतुलित स्थिति, उद्योग की जरुरत के अनुसार कुशल मानवशक्ति की उपलब्धता, कुशलता को अद्यतन करने को गति व बहुकार्यकुशलता जैसे कई अन्य कारकों पर निर्भर करता है। (पृ० 69)

पुनः, विश्व बैंक द्वारा (2014) में किये गये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अध्ययन में भारत में प्रत्युत्तर देने वाली फर्मों के दसवें हिस्से में कुछ अधिक ने ही श्रम नियामकों को एक बड़ी बाधा माना था। अर्थशस्त्रीय भाषा में कहें तो, रोजगार व निवेश जैसे आर्थिक लाभों में वास्तविक प्रतिशत वृद्धि, कानून बनाने वालों के द्वारा सोची गई वृद्धि से बहुत कम थी। इस प्रकार, श्रम बाजार के जोखिमों को दूर करने के लिए कहीं और अधिक ध्यान देना ठीक होगा।

महिला मजदूरों के मुद्दे

रिपोर्ट के लेखन में बहुत बिखराव है – उदाहरण के लिए, ''बचाव एवं सामाजिक सुरक्षा'' वाले अनुच्छेद (पृ० 14) में, इसमें श्रम कानूनों की अधिकता/जटिलता व अमल पर थीम से ज्यादा बात की गई है। इसकी सिफारिश, कि महिला मजदूरों के प्रति दोस्ताना कानूनों को अच्छी तरह से लागू किया जाये, हालांकि सकारात्मक है का वास्तव में महिलाओं के रोजगार पर उलटा असर होगा, लघु और मध्यम अवधि में।

संशोधित मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत अन्य लाभों के साथ मातृत्व लाभ को 26 सप्ताह तक के लाभ ने, लचीलेपन की दलील के हिसाब से रोजगार के अवसरों को बुरी तरह प्रभावित किया है, यहाँ तक कि महिला मजदूरों का मौजूदा रोजगार भी, विशेषकर स्टार्टअप में, जिसे सरकार जोर–शोर से प्रोत्साहित करना चाहती है।

अब, सरकार 15,000 रुपये से कम कमाने वाली महिलाओं के वेतन को सब्सिडी देने का प्रस्ताव कर रही है। तथापि, वह श्रम कानूनों के तहत बनी समितियों तथा संस्थानों के लैंगिक संयोजन पर खामोश है। महिला मजदूरों की आवक संबधी मुद्दों पर केन्द्रित होने के साथ इसमें संस्थागत मजबूती को भी शामिल किया जाना चाहिए।

नीति आयोग कार्यस्थितियों के संबध में – नए मातृत्व लाभ कानून, न्यूनतम वेतन व घरेलू कामगारों पर राष्ट्रीय नीति बारे में प्रभावी अमल की बात करता है।

लेकिन इनके लिए तो एक समुचित व प्रक्षिक्षित अमल कराने वाली मशीनरी की जरुरत है जिसे सुधारों के नाम पर ध्वस्त कर दिया गया है। यह स्पष्ट हो कि कोई भी श्रम प्रशासन व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी व चौकन्ना बनाये जाने के लिए सुधारों के विरुद्ध दलील नहीं दे रहा है।

अमल के मुद्दे पर बोलते हुए, औद्योगिक विवादों के जल्द व कम खर्चीले समाधान के बारे में नीति आयोग की सिफारिशें बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं। यह श्रम न्याय व्यवस्था की कमियों से पूरी तरह अन्जान है। सब जानते हैं कि न्याय में देरी नुकसान पहुँचाने वाले आर्थिक नतीजे देती हैं, विशेषकर एक बाजार संचालित अर्थव्यवस्था में।

दबी–छिपी गणनाऐं दिखाती हैं कि 1998–99 में लगभग 85,000 मजदूरों पर एक न्यायिक निकाय था और आज की स्थिति और भी बदतर हो सकती है – ''हो सकती है'' इसलिए कि मजदूरों के बढ़ते अनौपचारीकरण तथा ट्रेड यूनियनों के कमजोर पड़ने के चलते औद्योगिक विवादों में 'कमी' आयी है और इस तरह श्रम न्यायपालिका पर काम का बोझ कम हो सकता!

विभिन्न श्रम आयोगों ने मजदूरों/फर्मों को न्याय में देरी को उजागर किया है। आवश्यक न्याय निर्णय पर 1940 के दशक में ही विचार किया गया था और अपनी आवाज न उठा सकने वाले मजदूरों के लिए यह आज भी प्रासंगिक है। लेकिन सुधारों के बारे में बहस 'हायर एण्ड फायर' के कायदों को आसान बनाने के इर्द–गिर्द हो रही है न कि न्यायिक प्रणाली में सुधार पर।

ट्रेड यूनियन अधिकार

यही नहीं नीति आयोग उचित वेतन या न्यूनतम वेतन जैसे उद्देश्यों को पाने के लिए 'औद्योगिक जनतंत्र' की तो चर्चा करना ही भूल गया। ट्रेड यूनियनें महत्वपूर्ण सामाजिक व आर्थिक कार्य करती हैं (सामूहिक समझौतों, ट्रांजेक्शन लागत को कम करने आदि की एक की एजेंसी के रूप में)। आई.एल.ओ. के मुताबिक ट्रेड यूनियनें एक बहुत ही अहम मौलिक अधिकार हैं। तब भी ट्रेड यूनियन मान्यता कानून बहुमत राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी अनुपस्थित है।

कुशलता से संबंधित तथ्य तो ट्रेड यूनियनों, हड़तालों या पाबन्दी वाले श्रम कानूनों के मुकाबले उत्पादकता के लिए बड़ा खतरा हैं (भारत की 95 प्रतिशत श्रमशक्ति बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण वाली है)

नीति आयोग को गुधवत्तापूर्ण रोजगार व समावेशी विकास प्रदान करने के लिए जरुरी श्रम बाजार के अनुरुप और समावेषी विकास प्रदान करने के लिए संतुलित और औद्योगिक संबंध रणनीति तैयार करने में सक्षम होने के लिए अपने आपको फिर से तैयार करने की आवश्यकता है। *(लेखक एक्सएलआरआई–जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जमशेदपुर, झारखंड के एच.आर.एम. क्षेत्र के प्रोफेसर हैं)*

फार्म–4

1• प्रकाशन का पता	:	बी टी रणदिवे भवन 13–ए राऊज एवेन्यू नई दिल्ली–110002
2•प्रकाशन की अवधि	:	मासिक
3• मुद्रक का नाम	:	तपन सेन
क्या भारत का नागरिक हैं	:	हाँ
पता:	:	बी टी रणदिवे भवन 13–ए राऊज एवेन्यू नई दिल्ली–110002
4• प्रकाशक का नाम	:	तपन सेन
क्या भारत का नागरिक है	:	हाँ
5• संपादक का नाम	:	के. हेमलता
क्या भारत का नागरिक हैं	:	हाँ
6• कुल पूंजी के एक प्रतिशत से ज्यादा के हिस्सेदार समाचारपत्र व साझीदारों का नाम व पता	:	सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स 13–ए, राऊज एवेन्यू नई दिल्ली–110002

हस्ताक्षर
तपन सेन
प्रकाशक

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना का पर्दाफाश करो; मजदूरों को लूटने की भाजपा सरकार की कोशिश को विफल करो।

ए आर सिंधु

मोदी सरकार ने 2019 के बजट में 15000 रुपये प्रतिमाह से कम कमाने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पेंशन योजना के रुप में 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन' की घोषणा की। वित्तमंत्री ने घोषित किया, '' योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 100 रुपये प्रतिमाह के योगदान के साथ 60 वर्ष की उम्र के बाद 3000 रुपये प्रतिमाह की सुनिश्चित पेंशन प्रदान करेगी। ''उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की ओर से इस योजना के तहत आने वाले प्रत्येक असंगठित क्षेत्र के मजदूर को 100 रुपये प्रतिमाह का योगदान किया जायेगा। उन्होंने दावा किया कि ''योजना 10 करोड़ मजदूरों को लाभ पहुँचायेगी और पाँच वर्षों में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए विश्व की सबसे बड़ी पेंशन योजना बन सकती है।'' बाद में प्रधानमंत्री ने घोषित किया कि वे सभी 42 करोड़ मजदूरों को इसके दायरे में लाने जा रहे हैं।

तथापि, बजट में गाय रक्षा के लिए 750 करोड़ रुपये का आवंटन करने वाली सरकार ने 42 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की योजना के लिए जो मंत्री के अनुसार देश के आधे सकल घरेलू उत्पाद का सृजन करते हैं, 500 करोड़ रुपये आवंटित किये!

भाजपा ने, जिसने 2014 के अपने चुनाव घोषणापत्र में '' सभी प्रकार के मजदूरों के लिए '' पेंशन व स्वास्थय बीमा सुरक्षा को मजबूत करने '' का वादा किया था, इस योजना की घोषणा अगले लोकसभा चुनाव के केवल एक महीने पहले की। योजना को ' असंगठित क्षेत्र मजदूर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 ' के तहत अधिसूचित किया गया। इस सरकार के पाँच वर्ष के कार्यकाल के दौरान केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने तीन आम हड़तालें की जिनकी प्रमुख माँगों में एक सभी मजदूरों को प्रतिमाह 6000 रुपये सामाजिक सुरक्षा व पेंशन देने की रही। भाजपा को चुनावों की घोषणा तक असंगठित क्षेत्र के मजदूर याद नहीं आये। यह भाजपा सरकार का एक सबसे बड़ा चुनावी जुमला' है।

जरुरतमंद बाहरः 'सभी' असंगठित क्षेत्र मजदूरों को दायरे में शामिल करने का दावा करने वाली योजना ऐसे लगभग 20 प्रतिशत मजदूरों को बाहर करती है जो 40 वर्ष से ज्यादा की उम्र के हैं। इसका अर्थ है कि 40 वर्ष से उपर की श्रमशक्ति जो सबसे अधिक जरुरतमंद है, योजना में शामिल नहीं होगी।

अगले 20 वर्ष तक किसी को कोई लाभ नहींः 40 वर्ष के ऊपर के मजदूरों को योजना से बाहर रखने का अर्थ है कि अगले 20 वर्ष तक किसी मजदूर को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। 18 वर्ष का एक मजदूर अगले 42 वर्ष तक सरकार को पैसा देता रहेगा। 10 करोड़ मजदूर अगले 20 वर्ष में प्रीमियम के रुप में प्रतिवर्ष 12, 000 करोड़ रुपये देंगे; यानी गरीब रिक्शा चलाने वाले, रेहड़ी–पटरी वाले, मिड–डे मील मजदूर, निर्माण मजदूर, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स, मनरेगा मजदूर, आशा वर्कर्स सभी सरकार को 20 वर्षों में बिना पैसा वापस माँगें 2, 40, 000 करोड़ अदा कर देंगें यह और कुछ नहीं बल्कि बिना किसी स्थायी आय वाले असंगठित मजदूरों से इतनी विशाल राशि निकलवाकर सरकार द्वारा कारपोरेटों को मुहैया कराने का एक तरीका है।

मान लें कि यदि सरकार के दावे का दसवाँ भाग भी पूरा हुआ, यानी 1 करोड़ मजदूरों को भी जोड़ लिया गया तो वे एक वर्ष में सरकार को 1200 करोड़ और 20 वर्ष में 24, 000 करोड़ रुपये दे देंगे। मोदी सरकार की ओर से तथाकथित बराबर के अनुदान के लिए किया गया आवंटन है 500 करोड़ ।

केवल पति/पत्नी ही हो सकते हैं नॉमनीः मजदूरों को लूटने के लिए तैयार की गई इस अजीब योजना में केवल मजदूर की पति/पत्नी ही नामिनी हो सकते है। इसका अर्थ यह है कि ऐसे मजदूर जो अकेले हैं, विधवा या विधुर है और 60 वर्ष से पूर्व उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी समूची राशि पर कोष का अधिकार होगा और उनके परिजनों को कोई पैसा नहीं मिलेगा। केवल पति/पत्नी को संचयित पैसा मिलेगा वे योजना को जारी रख सकते हैं।

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कितनी ही महिलायें विधवा हैं। यहाँ तक कि मजदूर की मुत्यु (दुर्घटना में भी) होने पर उसके अवयस्क बच्चों को एक पैसा भी नहीं मिलेगा।

मजदूर के साथ दुर्घटना या उसके स्थायी विकलांग होने की स्थिति में उसे केवल उसके द्वारा जमा किया गया पैसा ही वापस मिल सकेगा। किसी और लाभ का प्रावधान नहीं है। जीवन बीमा निगम की कितनी ही स्कीमों में इससे कहीं बेहतर प्रावधान हैं।

सुनिश्चित पेंशन, 3000 रुपये प्रतिमाहः सरकार ने घोषित किया है कि मजदूरों को 3000 रुपये महीने पेंशन मिलेगी। लेकिन, संगठित क्षेत्र के मजदूरों को ई.पी.एफ.में केवल 1000 रुपये पेंशन की गारण्टी है, (वह भी हाल ही में की गई है)। भारत सरकार का अब तक का रिकार्ड देखने से कोई इस वादे के पूरा किये जाने का विश्वास नहीं कर सकता। यदि यह वादा पूरा भी किया गया तो आज से 20 वर्ष बाद 3000 रुपये की कीमत मंहगाई को देखते हुए 1000 रुपये से भी कम होगी जबकि ट्रेड यूनियन आंदोलन की माँग सभी मजदूरों के लिए कम से 6,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन की है।

ब्याज के हिसाब से भी मजदूरों को नुकसानः इस योजना के माध्यम से मजदूरों की लूट के बारे में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े हैं। दैनिक नैशनल हेराल्ड के अनुसार, गणना इस तरह है– 18 वर्ष की उम्र में योजना से जुड़ने वालाएक व्यक्ति 55 रुपये प्रतिमाह देगा जो सरकार के अंशदान के साथ 110 रुपये प्रतिमाह होगा। ऐसे व्यक्ति को 42 वर्ष तक (60 वर्ष का होने तक) यह राशि देनी होगी। यह एक आर्वती जमा खाते में जायेगी जो 42 वर्ष के बाद 5,76,315 रुपये होगी। यदि हम इस राशि को मियादी जमा खाते में रखें तो इस पर 5042 रुपये मासिक ब्याज मिलेगा। इसका मतलब है कि मजदूर को 2042 रुपये प्रतिमाह का और 5,76,315 रुपये मूलधन की हानि होगी।

यदि हम भारत के किसी भी कामर्शियल बैंक की दरों के हिसाब से देंखे तो 42 वर्षों में संचयित राशि 4,48,922 रुपये होगी और इसका मासिक ब्याज होगा 3,367 रुपये। इस तरह से मासिक 337 रुपये की हानि के साथ व्यक्ति को संचयित 4,48,922 रुपये से हाथ धोना पड़ेगा।

ज्यादा वापस चुकाने की जरुरत नहींः भारतीय आबादी में जीवन अवधि लगभग 68 वर्ष है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए यह निश्चित ही और भी कम 65 वर्ष या उससे से भी कम होगी। अनुभव बताता है कि कुपोषित, भूखा मजदूर 60 वर्ष तक जीवित नहीं रहता। ऐसे मजदूर जिनकी नियमित आय नहीं है उन्हें प्रीमियम अदा करने में मुश्किल होगी। इस प्रकार यह सारी राशि कोष में चली जायेगी।

ई.पी.एफ., ई.एस.आई. या विस्तृत सामाजिक सुरक्षा योजनाः यदि सरकार की मंशा अच्छी है तो वह अंसगठित क्षेत्र के मजदूरों को ई.पी.एफ.व ई.एस.आइ.योजनाओं में शामिल क्यों नहीं कर देती या ऐसी योजनायें क्यों शुरु नहीं करती जिनसे करोड़ों मजदूरों को लाभ हुआ है और जिनकी स्वीकार्यता व साख है।

ई.पी.एफ.में लोन पेंशन निकासी का प्रावधान है और संचायित राशि मजदूर या उसके नॉमिनी की होती है। चुनाव से एक महीने पहले अंसगठित क्षेत्र मजदूरों के लिए पेंशन योजना की घोषणा करने वाली यह सरकार यह नहीं सोचती कि वह कानूनी रुप से हक रखने वाले 50 प्रतिशत से भी कम मजदूरों को जिनको शामिल करने का कोई कार्यक्रम नहीं, ई.पी.एफ.व ई.एस.आइ.जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनायें ही दे देते। सरकार तो अब ई.पी.एफ.में कर्मचारियों के हिस्से का अंशदान करने के स्थान पर नियोक्ताओं के हिस्से अंशदान कर रही है। इस योजना के लिए आवंटन जहाँ महज 500 करोड़ का हैं, सरकार नियोक्ताओं के अंशदान के रुप में 3, 648 करोड़ रुपये से ज्यादा ई.पी.एफ.ओ को अदा कर चुकी है।

यही नहीं, ऐसी रिपोर्टें हैं कि बोर्ड में मजदूरों के प्रतिनिधियों के विरोध के बावजूद ई.पी.एफ.ओ में जमा उनके धन के एक बड़े हिस्से को मार्किट ट्रेडेड बाँड्स के रुप में, निवेश कंपनी आइ.एल. एंड एफ.एस. में निवेश किया गया था, वह कंपनी के दिवालिया होने के चलते डूब गया है। सरकार इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रही। पी एम एस वाई एम में संचयित कोष पर भी ऐसा ही खतरा है।

योजना कर्मीः सकरार बड़ी तेजी के साथ ऐसे आंगनवाड़ी कर्मियों, सहायकों, आशा कर्मियों व मनरेगा मजदूरों (जिन्हें परिवार में वर्ष में 100 दिन से कम काम मिलता है) आदि के एनरोलमेंट पर जोर दे रही है। हलांकि, न तो बजट भाषण में न ही अधिसूचना में इन तबकों को शामिल किया गया और न ही इस संबंध में राज्यों को पत्र जारी किये गये।

स्रकार ने दावा किया हे कि 10 दिन में 14 लाख मजदूरों का नामांकन किया गया है। योजना में आपको अपने बैंक खाते को लिंक करना जरुरी है। आंगनवाड़ी वर्करो, हैल्परों, आशा वर्करों, मिड–डे मील वर्करों सभी के बैंक खाते हैं और उनके खाते से आसानी से पैसा काटा जा सकता है। नियमित भुगतान सुनिश्चित हो इसी लिए सरकार इन्हें शामिल करने पर जोर दे रही है। सर्वप्रथम तो यह कि आंगनवाड़ी कर्मी, सहायक, आशा कर्मी या मिड– डे मील ' असंगठित क्षेत्र के मजदूर नहीं हैं।' सरकार 45 वें भारतीय श्रम सम्मेलन में उन्हें कर्मचारी का दर्जा देने और ई.पी.एफ.व ई.एस.आइ.में शामिल करने को पहले ही वचनबद्ध है। इस वादे का क्या होगा ? क्या हमें इस पर सहमत होना होगा कि हम असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं ?

पांडिचेरी में, जहाँ आंगनवाड़ी वर्कर्स व हैल्पर्स को 15000 रुपये महीने वेतन मिलता है, लेकिन पेंशन नहीं, वे इस योजना में शामिल नहीं हो सकतें केरल, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश आदि जैसे राज्यों में आंगनवाड़ी वर्करों को 12000 रुपये प्रतिमाह मिल रहा है और जिसमें बढ़ोतरी का वादा किया जा चुका है, उन्हें भी 15000 रुपये प्रतिमाह मिलने पर इस योजना से बाहर कर दिया जायेगा।

समय की जरुरत सरकार के पैसे से एक ऐसी विस्तृत सामाजिक सुरक्षा योजना की है जो मातृत्व समेत स्वास्थय देखभाल, दुर्घटना सुरक्षा, सेवानिवृत होने पर पेंशन, बच्चों की शिक्षा आदि को सभी तबकों के मेहनतकशों के लिए सुनिश्चित करे जिसमें खेतमजदूर व किसान भी शामिल हों और जिसमें सिर्फ नामांकन की सुलभता के लिए मामूली अंशदान लिया जाये।

पाँच वर्षों में

खत्म हुआ रोजगार : 4.7 करोड़

बेरोजगारी : शहरी 7.1 प्रतिशत, ग्रामीण– 5.8 प्रतिशत

1993–94 के बाद से पहली बार : भारत की पुरुष श्रम शक्ति का आकार घट रहा है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वे कार्यालय (एन.एस.एस.ओ.) के श्रम शक्ति सर्वेक्षण 2017–18 में पता लगा है कि 2011–12 के बाद से राष्ट्रीय श्रमशक्ति में 4.7 करोड़ की कमी आयी है।

भारत की पुरुष श्रमशक्ति – या कार्य कर रहे पुरुषों की संख्या – 1993–94 के बाद पहली बार कम हुई है।

स्रकार द्वारा रोकी गई व *इंडियन एक्सप्रेस* द्वारा बाहर लायी गइ रिपोर्ट कहती है कि 28.6 करोड़ पुरुष रोजगार में लगे हुए हैं– जो 2011–12 की 30.4 करोड़ की संख्या से कम है जब पिछला एन एस एस ओं सर्वे किया गया था।

रोजगार के नीचे जाने का यह रुझान ग्रामीण क्षेत्रों में 6.4 प्रतिशत की गिरावट के साथ शहरी क्षेत्रों में 4.7 प्रतिशत की गिरावट से कहीं अधिक तीव्र है।

एन एस एस ओ के आंकड़े कहते हैं, '' कि ग्रामीण क्षेत्रों में हुए रोजगार के नुकसान का सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर हुआ है (68 प्रतिशत) वहीं शहरी क्षेत्रों में पुरुषों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है (96 प्रतिशत)'' ।

एन एस एस ओ रिपोर्ट में शहरी बेरोजगारी की दर 7.1 प्रतिशत तथा ग्रामीण बेरोजगारी 5.8 प्रतिशत दर्ज की गई है।

रिपोर्ट को पहली बार जनवरी 2019 में बिजनेस स्टैंडर्ड में उद्धघृत करते हुए कहा गया था कि 2017–18 में भारत में बेरोजगारी 45 वर्षों में सबसे अधिक थी।

नरेन्द्र मोदी के नोटबंदी के कदम के बाद किया गया यह पहला रोजगार संबंधी सर्वेक्षण था। रोजगार के आंकड़े – या उनका न होना, मोदी शासन में एक विवाद का विषय रहा है। हाल ही में यह सामने आया कि मुद्रा योजना के तहत सृजित हुए रोजगार पर किये गये एक सर्वे को 2019 के चुनावों से पहले जारी नहीं किया जायेगा।

रोजगार के आंकड़ों के बारे में यह तीसरी ऐसी रिपोर्ट है जिसे सरकार अब तक जारी करने में असफल रही है। पी.एल.एफ.एस. व मुद्रा रिपोर्ट के अतिरिक्त श्रम ब्यूरों के छठे वार्षिक रोजगार–बेरोजगारी सर्वे को भी जारी नहीं किया गया है। *(वॉयर से)*

''समानता, गरिमा और सुरक्षा के लिए''

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019

सीटू ने इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर फैसला लिया कि **''महिलाओं के लिए समानता, गरिमा और सुरक्षा''** विषय के तहत सामान्यतः तथा विशेषकर कामकाजी महिलाओं के समक्ष प्रमुख मुद्दों को चुनावों से जोड़ा जाएगा।

सबसे प्रासंगिक मुद्दे, जो पिछले संघर्षों में केन्द्र में रहे हैं, इस प्रकार हैं:

- महिलाओं के अवैतनिक और अल्पकालिक श्रम जिसमें योजना मजदूरों की अवैतनिक/अल्पवैतनिक देखभाल कार्य भी शामिल है, को मान्यता और वैधानिक न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा देने से भी इंकार जैसे मुद्दे।
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न सहित समाज में महिलाओं और बच्चों पर हिंसा। और
- संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण सहित निर्णय लेने वाली समितियों में महिला प्रतिनिधित्व।

यह तय किया गया था कि जनता का दबाव बनाते हुए इन मुद्दों को चुनाव में एजेंडे पर लाया जाएगा।

इसके आधार पर, सीटू राज्य कमेटियों और यूनियनों द्वारा इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।

पटना में सफाई कर्मचारियों ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनायाः पटना में, 8 मार्च 2019 को नालंदा मेडिकल कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में महिला और पुरुष दोनों सफाई कर्मचारियों ने भाग लिया, और राधिका देवी ने अध्यक्षता की। बिहार सीटू के नेता अरुण कुमार मिश्रा ने कहा कि दुनियां भर में असमानता बढ़ रही है और महिलाऐं इसकी सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। महिला–विरोधी सामाजिक दृष्टिकोण महिलाओं की उन्नति में एक बड़ी बाधा है और धार्मिक, जाति और लिंग आधारित भेदभाव व असमानता बढ़ाता है। भारत को लैंगिकअंतर के सूचकांक में 108वें स्थान पर रखा गया है, जिसमें केवल बांग्लादेश ही रैंकिंग में पीछे है। उन्होंने कहा कि भारत में महिलाओं द्वारा प्रतिदिन कम से कम 5 घंटे किए गए अवैतनिक कार्य जीडीपी के 3.1% के बराबर हैं।

मंजुल कुमार दास ने लैंगिक समानता, लिंगानुपात समानता और मजदूरी में समानता को बेहतरी के लिए एक आवश्यक शर्त बताते हुए कहा कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए नारा है ''बेहतर के लिए संतुलन''। इनके लिए संघर्ष जारी रखना होगा। उन्होंने याद दिलाया कि द्वितीय सोशलिस्ट इंटरनेशनल में, क्लारा जेटकिन ने उन नेताओं की आलोचना की थी, जिन्होंने इस आधार पर कारखानों में महिलाओं के प्रवेश का विरोध किया था कि वे कम वेतन और लंबे समय तक काम करने के लिए जिम्मेदार होती थी।

एन.एम.सी.एच. पटना की सफाई कर्मचारी संगीता देवी और पुनिया देवी ने बताया कि किस तरह ठेकेदार और अकाऊंटेन्ट ने उन्हें नौकरी से हटाने की धमकी दी और कैसे, यूनियन में शामिल होने के बाद, उन्होंने जवाब दिया *"हम काम करेंगे और मजदूरी भी लेंगे, और कम मजदूरी के खिलाफ और ईएसआई और ईपीएफ के लिए, पुरुष मजदूरों के साथ मिलकर संघर्ष करेंगे।"*

शंकर साह ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम में महिला मजदूरों की भागीदारी पर खुशी व्यक्त की, जो उनकी बढ़ती चेतना का प्रमाण है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, ठेकेदारी के उन्मूलन, 18,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम वेतन और 3,000 रुपये मासिक पेंशन के लिए संघर्ष में बड़ी संख्या में महिलाओं को इकट्ठा करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ।

केरलः 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, कामकाजी महिला समन्वय समिति द्वारा मनाया गया। अखिल भारतीय केंद्र द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज की प्रतियां सभी जिलों को वितरित की गईं। इस वर्ष के विषय – *समानता, गरिमा और सुरक्षा* पर एक अभियान आयोजित किया गया। कामकाजी महिला समन्वय समिति द्वारा 14 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। कन्नूर में, कार्यक्रमों का उद्घाटन पी.के. श्रीमती ने किया। मोदी सरकार के भ्रष्ट शासन के विषय पर आधारित एक तिरुवतीरा को जनता ने बहुत सराहा। इन अभियानों में महिलाओं की बड़ी भागीदारी वाले सभी जिलों के कार्यक्रमों ने इस तथ्य को साबित कर दिया कि केरल सरकार के साथ–साथ वाम जनवादी मोर्चा महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा को प्रमुखता दे रहे हैं।

पंजाबः आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन पंजाब द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कामकाजी महिला दिवस मनाया गया। शहीद भगत सिंह के गृह नगर खटका कलां में एक रैली और जनसभा का आयोजन किया गया था। इस बैठक में यूनियन के उन सदस्यों को सम्मानित किया गया जो पंजाब में हाल ही में हुए पंचायत चुनावों में सदस्य चुने गए।

उद्योग व क्षेत्र

विमानन

सीटू द्वारा हवाई अड्डों के निजीकरण का विरोध

सीटू ने छः हवाई अड्डों– अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, त्रिवेंद्रम, मंगलोर व गुवाहाटी को दरबारी निजी खिलाड़ी अडानी समूह को सौंपे जाने की भर्त्सना की है जिसे रफाल सौदे में लड़ाकू जहाजों के बारे में कोई अनुभव न होने के बावजूद ऑफसेट पार्टनर बनाये गये अंबानियों की तरह हवाई अड्डों का विमानन क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं है। सीटू द्वारा 11 फरवरी, 2019 को जारी प्रेस बयान में यह भी कहा गया कि चुनाव घोषित होने से पहले ही सौदा पूरा कर लेने के लक्ष्य के साथ ही इन हवाई अड्डों के निजीकरण को त्वरित प्रक्रिया में डाला गया।

ये सभी हवाई अड्डे राष्ट्रीय संपत्ति हैं जिन्हें जनता के पैसे के हजारों करोड़ रुपये खर्च कर एअरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया ने विकसित और आधुनिक बनाया है। अपने कार्यकाल के समाप्त होने से ठीक पहले मोदी सरकार ने लगभग बदहवाशी जैसी जल्दबाजी के साथ बने–बनाये, चालू व लाभ कमा रहे इन हवाई अड्डों को दरबारी पूंजीपतियों को सौंप दिया।

निजीकरण की शर्तों के अनुरुप , जो एक भारी उपहार जैसी हैं, निजी संचालक केवल एअरोनॉटिकल राजस्व का बंटवारा करेगा न कि उस भारी भरकम गैर– एअरोनॉटिकल राजस्व का जिसे वह रियल एस्टेट और हर हवाई अड्डे से जुड़ी विशाल कामर्शियल जगह से कमायेगा। उसे एक बार बस 2500 करोड़ रुपये अदा करने होंगे और उसके बाद प्रतिवर्ष छः हवाई अड्डों के लिए कन्सेशन फीस के रुप में 525 करोड़ रुपये देने होंगे जो उस राशि से कहीं कम है जो इन हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण व विकास पर खर्च की गई है।

सीटू ने मजदूर वर्ग से और विशेषकर ट्रेड यूनियन आंदोलन से इन छः हवाई अड्डों के निजीकरण का विरोध व प्रतिरोध करने का आह्वान किया है।

गुवाहाटी में हवाई अड्डे के निजीकरण का विरोध

सीटू तथा ज्वाइंट कौंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन (जे.सी.टी.यू.) द्वारा गुवाहाटी में 5 मार्च को आयोजित विरोध मार्च में सैकड़ों मजदूरों व कर्मचारियों ने भाग लिया, प्रदर्शन किया और गुवाहाटी हवाई अड्डे के निजीकरण के फैसले को वापिस लिए जाने की माँग करते

हुए प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया। रैली को संबोधित करते हुए, सीटू के राज्य महासचिव तपन शर्मा और उपाध्यक्ष सतनजिब दास ने कहा कि गुवाहाटी हवाई अड्डा न केवल संवेदनशील है बल्कि समूचे उत्तर–पूर्व के लोगों व देश के लिए अंतराष्ट्रीय महत्व का है। उन्होंने लोगों से भाजपा को हराकर देश को बचाने का आह्वान किया।

केरल का एल डी एफ मॉडल

13 दिसम्बर, 2018 के न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट दी कि ''त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे का कड़ा विरोध'' करते हुए केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने कहा कि राज्य द्वारा पहले ही केन्द्र को सूचित कर दिया गया है कि वह कोचीन इंटरनेशनल एअरपोर्ट की तरह त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे के संचालन के लिए भी एक स्पेशल परपज व्हीकल बनायेगा।

''हमने दो अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे विकसित किये हैं और इस क्षेत्र में हमारे अनुभव पर विचार किया जाना चाहिये और राज्य सरकार ने त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे के निजीकरण के प्रति अपने कड़े विरोध से केन्द्र को अवगत करा दिया है। केरल सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किये गये दो अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं कोचीन इंटरनेशनल एअरपोर्ट (सी.आई.ए.एल.) और कन्नूर इंटरनेशनल एअरपोर्ट (के.आई.ए.एल.)। 12 दिसम्बर को सायल के नवीनीकृत घरेलू टर्मिनल (टर्मिनल 1) का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि '' जन भावना भी हवाई अड्डे को सार्वजनिक क्षेत्र में रखे जाने के पक्ष में है ''। उन्होंने हवाई अड्डे के परिसर में 40 मेगावाट सोलर पावर तक बढ़ाई गइ क्षमता और सोलर कारपोर्ट का भी उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सायल ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में क्रमशः 11,400 व 25,000 लोगों को रोजगार प्रदान कर; 25 प्रतिशत लाभांश देकर जिसमें राज्य सरकार को 100 करोड़ रुपये के निवेश पर 230 करोड़ रुपये अभी तक प्राप्त हुए है, के रुप में विकास का एक मॉडल सामने रखा है।

राज्य सरकार ने कार्य कुशलता को देखते हुए 610 किलोमीटर लम्बे कोवलम–बेकल जलमार्ग को अमलीजामा पहनाने के लिए सायल को एजेन्सी के रुप में चुना है। सायल के प्रबंधक निदेशक वी जे कुरियन ने कहा कि कोवलम–बेकल जलमार्ग का पहला चरण 2020 तक पूरा कर लिया जायेगा। 11 जिलों व तीन हवाई अड्डों वाला यह जलमार्ग केरल के लिए विकास के एक नये युग के रुप में होगा।

तिरुवनंतपुरम एअरपोर्ट के निजीकरण के विरोध में आंदोलन

केरल सरकार तथा एअरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया एम्पलाइज यूनियन (ए ए आइ ई यू) केरल में थिरूवनंतपुरम एअरपोर्ट के निजीकरण का विरोध कर रही है। एअरपोर्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण राज्य सरकार ने किया था और ए.ए.आई. को मुफ्त में जमीन दी थी।

25 फरवरी को दिल्ली में जब अगले 50 वर्षों के लिए थिरूवनंतपुरम हवाई अड्डे के संचालन प्रबंधन व विकास के लिए वित्तीय बोलियां खोली गई तो एल डी एफ ने केरल में इसे धोखा दिवस के रुप में मनाया। उसने 28 फरवरी को, जिस दिन अडानी समूह को लैंटर ऑफ अवार्ड सौंपा जाना था, अंतराष्ट्रीय एअरपोर्ट तक एक मार्च आयोजित किया। घरेलू टर्मिनल के सामने एल डी एफ की ओर से अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जा रहा है। निजीकरण के कदम को रोकने तथा एअरपोर्ट को सार्वजनिक क्षेत्र में बनाये रखने के लिए पूर्व मंत्री व सी पी आइ (एम) नेता एम विजयकुमार के नेतृत्व में एक्शन कौंसिल बनी है। ए ए आइ ई यू भी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर है। मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने निजीकरण के विरोध में कड़ा रुख अपनाया है और संकेत दिया है कि ग्राही के लिए रास्ता आसान नहीं होगा।

सबका ध्यान इस पर है कि क्या सरकार, पूर्व में घोषित प्रस्तावित इंटीग्रेटेड एअरपोर्ट टर्मिनल के लिए आठ हेक्टेयर जमीन सौंपगी। वलक्काडु– वय्यमुला ज्वाइंट एक्शन कौंसिल ने घोषणा की है कि केन्द्र द्वारा प्रीमियर एअरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपने के फैसले को देखते हुए जमीन को समर्पित नहीं किया जा सकता है। (द हिन्दू, 26 फरवरी, 2019)

संकल्पबद्ध विरोध

28 फरवरी को, संकल्पबद्ध मुख्यमंत्री ने अडानी की निविदा के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट का दरवाजा खटखटाया । उन्होंने एक अकेले बिना अनुभव वाले निजी बोली लगाने वाले को बोली की इजाजत देने और बोली उसके नाम होने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी पत्र लिखा।

त्रिवेद्रम एअरपोर्ट के मामले में केरल स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट कारपोरेशन (के एस आइ डी सी) भी बोली लगाने वाला था। ''अडानी एअरपोर्ट के संचालन के बारे में भले न जानता हो, लेकिन वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अच्छी तरह जानता है,'' पिनरायी ने कहा।

विरोध क्यों

1. प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 2003 में केन्द्र सरकार द्वारा एक लिखित आश्वासन दिया गया था कि जब एअरपोर्ट के प्रबंधन के लिए किसी निजी खिलाड़ी को शामिल करने का फैसला लिया जायेगा तो केन्द्र, राज्य सरकार से विचार–विमर्श करेगा। यह इसलिए भी है क्योंकि एअरपोर्ट के लिए राज्य सरकार ने 635 एकड़ जमीन दी थी, जिसकी कीमत एअरपोर्ट में राज्य सरकार का हिस्सा होगा।

2. उन्होंने यह भी कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि रिक्वेस्ट फॉर प्रोपोजल (आर एफ पी) में एअरपोर्ट संचालन के पूर्व अनुभव की कोई शर्त नहीं थी और एक बोली लगाने वाले के लिए बस इंफ्रास्ट्रक्चर, का अनुभव ही काफी था (!)

मजेदार है कि अडानी समूह को इंफ्रास्टक्चर, विशेषकर बंदरगाहों के निर्माण के लिए जाना जाता है। राज्य सरकार कहती है कि बिना पूर्व अनुभव वाले एक निजी खिलाड़ी द्वारा ज्यादातर बोलियों को जीतने की प्रक्रिया में शंका की गुंजाईश है।

जैसी की सरकार ने खुली छूट दी है जिसे एअरपोर्ट में सरकार की इक्विटी माना जायेगा, पिनरायी ने मोदी से पूछा कि के एस आइ डी सी को अडानी द्वारा लगायी गई बोली की बराबरी करने की इजाजत दी जाये। इससे यह सुनिश्चित होगा कि के एस आइ डी सी एअरपोर्ट का संचालन व प्रबंधन करेगा।

केरल उच्च न्यायालय में प्रस्तुत अपनी याचिका में के एस आइ डी सी ने आरोप लगाया है कि बिडिंग के लिए आर पी एफ में खामियां की भरमार थी और पूरी प्रक्रिया मनमाने अतार्किक तथा न्याय व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाली थी और अडानी एंटरप्राइजेज लि. का पक्ष लेने वाली थी।

अडानी को हवाई अड्डे सौंपने के लिए नहीं अपनाई गई जरुरी प्रक्रिया

छः हवाई अड्डों को अडानी एंटरप्राइजेज को दिये जाने के केन्द्र के फैसले के बारे में समझा जाता है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने याचिकाओं पर राज्य सभा की समिति को सूचित किया था कि राज्यों व जनता के साथ '' आवश्यक'' विचार विमर्श नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने पिछले वर्ष दिसम्बर 27 व 28 को हुई दो बैठकों में ऐसा कहा कि हवाई अड्डों को लीज पर देने से पहले परामर्श नहीं किया गया। राज्य सभा की समिति ने एक याचिका पर विचार करते हुए मंत्रालय से यह पूछा था कि सुविधाओं को लीज पर देने से पहले क्या उचित जरुरी प्रक्रिया का पालन किया गया था। यह सार्वजनिक –निजी भागेदारी (पी पी पी) मॉडल पर आधारित हवाई अड्डों के प्रबंधन के लागत –लाभ विश्लेषण के बारे में और एअरपोर्ट अथारिटी व निजी संचालन वाले हवाई अड्डों के बीच तुलना के बारे में पूछे गये सवालों के अतिरिक्त था।

मंत्रालय ने स्वीकार किया कि ए ए आई के छः हवाई अड्डों को लीज पर देने का फैसला करने से पहले उसने राज्य सरकारों या जनता से कोई परामर्श नहीं किया था। उसने यह भी कहा कि केरल ने जहाँ थिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे के प्रबंधन के लिए राइट आफ रिफ्यूजल की माँग नागरिक उड्डयन मंत्रालय से की थी वहीं राज्यों ने उनके क्षेत्र के हवाई अड्डों के बारे में ऐसा नहीं किया था। हलांकि, मंत्रालय ने पूर्व में हुई बैठकों में कमेटी को बताया था कि परामर्श नहीं हुआ था, उसने 11 जनवरी, 2019 को अपनी प्रतिक्रिया में हेरफेर कर कहा '' तय प्रक्रिया के हिसाब से राज्य सरकारों के साथ जन परामर्श या परामर्श पी पी पी माध्यम से ए ए आइ के स्वामित्व वाले हवाई अड्डों को लीज पर देने के लिए आवश्यक है।'' एक पूरक सवाल के कि क्या अन्य राज्यों को भी ऐसा ही प्रस्ताव दिया गया था, मंत्रालय ने कहा, '' जहाँ तक इन छः हवाई अड्डों को पी पी पी मॉडल पर लीज पर देने का सवाल है तो अभी तक किसी अन्य राज्य सरकार ने केन्द्र से अब तक कुछ नहीं कहा।''

केरल ने, थिरुवनंतपुरम एअरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपने की ए ए आई की '' मनमानी व गैर –कानूनी '' कोशिश को पहले ही केरल उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी है। 5 मार्च को दाखिल एक जनहित याचिका में केरल ने कहा है कि अडानी समूह को संचालन, प्रबंधन व एअरपोर्ट के विकास के अधिकार सौंपने की ए ए आई की कोशिश जनहित में नहीं है।

इस बार, सरकार ने बोली प्रक्रिया को प्रोत्साहन देकर आकर्षक बनाने के लिए 50 वर्ष की लीज की इजाजत दी; दिल्ली व मुंबई में जी एम आर व जी.वी.के. के साथ संयुक्त उपक्रम की व्यवस्था से अलग संचालन विकास व प्रबंधन के लिए 100 प्रतिशत निजी भागेदारी को मंजूरी दी; तथा संभावित बोली पाने वालों को होटल व मॉल्स बनाने सहित समूचे गैर वायु क्षेत्र को कामर्शियल उद्देश्य के लिए विकसित करने की इजाजत दी। (टाइम्स ऑफ इंडिया से, 9 मार्च, 2019)

निजीकरण के विरोध में नागरिक उड्डयन मंत्री को सीटू का पत्र

11 फरवरी को सीटू महासचिव तपन सेन ने, तथाकथित पी पी पी मॉडल के माध्यम से 6 हवाई अड्डों के निजीकरण के खिलाफ सीटू का कड़ा विरोध दर्ज करते हुए केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु को पत्र लिखा। पत्र में लिखा कि यह एक प्रतिगामी कदम है जो जनहित में नहीं है, यह राष्ट्र का नुकसान है तथा ए ए आइ के कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है।

इसने ए ए आइ के कर्मचारियों के बीच गम्भीर असंतोष पैदा कर दिया है जो ए.ए.आई. कर्मचारियों द्वारा निजीकरण के ऐसे कदम के खिलाफ औद्योगिक हड़ताल पर जाने के लिए भारी बहुमत से संकल्प पारित करने में स्पष्ट हुआ है। सीटू हड़ताल का समर्थन कर रहा है। सीटू ने सरकार से 6 हवाई अड्डों के निजीकरण के ऐसे प्रतिगामी कदम से बाज आने की माँग की है।

बीमा

एल.आई.सी. एजेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का 5वाँ सम्मेलन

एल आइ सी एजेंट आग्रेनाइजेशन ऑफ इंडिया का 5 वाँ सम्मेलन 23–24 फरवरी को लखनऊ में चन्द्रकांत बिस्वाल मंच में हुआ। कामरेड चन्द्रकांत बिस्वाल का एक दिन पूर्व अचानक निधन हो गया था। खुले सत्र में, स्वागत समिति के चेयरमैन व सीटू के राज्य महासचिव प्रेमनाथ राय ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

अपने उद्घाटन भाषण में सीटू की अध्यक्ष के हेमलता ने विश्व आर्थिक संकट व भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय मजदूर वर्ग पर हमलों, मौजूदा लाभों के समाप्त होने , रोजगार के छिनने व एल आइ सी एजेंटों के समक्ष मुद्दों की चर्चा की। खुले सत्र की अध्यक्षता कर रहे पूर्व सांसद बासुदेव आचार्य ने देश की राजनीतिक आर्थिक स्थिति तथा एल आइ सी एजेंटों के समक्ष उपस्थित मुद्दों पर अपनी बात कही। लगभग 1000 एल आइ सी एजेंटों ने खुले सत्र में भाग लिया।

पहली बार एल.आई.सी. एजेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपना महिला एजेंट वर्करों का कन्वेंशन किया जिसमें 55 महिलाओं ने भाग लिया। के हेमलता ने कन्वेंशन का उद्घाटन किया और महिलाओं की भागेदारी व उन्हें नेतृत्वकारी भूमिकाओं में लाने के लक्ष्यों व उद्देश्यों को समझाते हुए दिशा–निर्देश दिया। सात सदस्यों ने चर्चा में भाग लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिये। केरल से ए.पी. सावित्रि तथा पश्चिम बंगाल से गौरी नंदी को एल.आई.सी.ए.ओ.आई. की महिला समिति का सहसंयोजक चुना गया।

प्रतिनिधि सत्र में 479 प्रतिनिधियों व 72 वर्किंग कमेटी सदस्यों ने भाग लिया। अपने अध्यक्षीय भाषण में बासुदेव आचार्य ने एजेंटों के मुद्दों की चर्चा करते हुए एल आइ सी के प्रति कर्तव्य की याद दिलायी और संगठन के विस्तार पर जोर दिया।

पी जी दिलीप ने महासचिव की रिपोर्ट प्रस्तुत की; 38 सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया व रिपोर्ट को सर्वसम्मति से पारित किया गया। एल आइ सी एजेंटों के लिए कानून, उत्पादन उसकी बिक्री से संबंधित कुशलता प्रशिक्षण, प्रीमियम पर जी एस टी व मूल्यों का नियंत्रण, पेंशन कल्याण कोष, एल आइ सी सीधी मार्किटिंग; श्रम कानूनों में संशोधन के खिलाफ; 18000 रुपये महीने की न्यूनतम सुनिश्चित आय व न्यूनतम 3000 रुपये पेंशन; पी एस यू के विनिवेश के खिलाफ, मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों , साम्प्रदायिकता आदि पर 14 प्रस्ताव भी पारित किये गये।

सम्मेलन में 300 सदस्यीय जनरल कौंसिल में 293 सदस्यों का चुनाव किया; 112 सदस्यीय वर्किंग कमेटी में 106 सदस्यों तथा 27 पदाधिकारियों में से 23 का चुनाव किया। बासुदेव आचार्य को अध्यक्ष, ए संपत सांसद को कार्यकारी अध्यक्ष तथा पी जी दिलीप को महासचिव चुना गया। हेमलता ने समापन सम्मेलन का समापन किया। *(योगदान : पी जी दिलीप)*

बिजली

पॉवर ग्रिड यूनियन का सम्मेलन

तमिलनाडु,पॉडिचेरी, केरल, व कर्नाटक के पॉवर ग्रिड कामगारों की पॉवरग्रिड वर्कमेन यूनियन , साऊथ जोन ने 17–18 फरवरी को मदुरै में अपना सम्मेलन आयोजित किया जिसका उद्घाटन सीटू राष्ट्रीय सचिव एस देव रॉय ने किया। अरासु ने महासचिव की रिपोर्ट पेश की जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। सम्मेलन ने यूनियन की सदस्यता बढ़ाने, व जल्द वेतन वार्ता के लिए आंदोलन करने का संकल्प लिया। सम्मेलन ने जी. सुकुमारन को ओनरेरी अध्यक्ष , के अरासु को अध्यक्ष व राजगोपाल को महासचिव चुना गया। *(योगदान : के सी गोपी कुमार)*

सी पी एस यू- भेल

सीटू यूनियनों ने 10 वर्ष के वेतन समझौते को खारिज किया; भेल के त्रिची सयंन्त्र में हड़ताल

भेल के प्रबंधन व मजदूरों के बीच लड़ाई 10 वर्ष के वेतन समझौते की जगह 5 वर्ष के वेतन समझौते को लेकर है; 10 वर्ष का वेतन समझौता मजदूरों, विशेषकर युवा मजदूरों के हितों के लिए नुकसानदायक है। इस मुद्दे पर भेल के त्रिची सयंन्त्र के मजदूरों की मौजूदा 2300 की संख्या के प्रचंड बहुमत ने सीटू के नेतृत्व वाली यूनियन की अगुवाई में 28 फरवरी को एक दिन की हड़ताल करते हुए कुछ यूनियनों द्वारा हस्ताक्षरित 10 वर्ष के वेतन समझौते को खारिज कर दिया।

वेतन समझौता 2017 के समाप्त होने की तारीख 31 दिसम्बर 2016 से 6 महीने पहले ; सीटू यूनियन ने मजदूरों के बीच मत सर्वे किया जिसमें भारी बहुमत में मजदूरों ने 5 वर्षे के वेतन समझोते के पक्ष में सहमति दी इसके अनुरूप सीटू युनियन ने 5 वर्षे के वेतन समझोते के लिए माँग पत्र तैयार किया। त्रिची के भेल संयन्त की सीटू यूनियन ने 450 मजदूरों के जुलूस व जन प्रतिनिधि मंडल के साथ त्रिची भेल के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर को मॉग पत्र दिया।

तथामि, भेल के कारपोरेट प्रबंअन ने डेढ वर्ष तक वेतन वार्ता को रोके रख उसे लटकाया। इसके बात वेतन पुननिर्धारण के लिए जे सी एम की कई बैठकों के बाद, प्रबंधन एक बार फिर इंटक, एच एम एस, एल पी एफ व स्वतंत्र युनियनों के द्वारा भेल के मजदूरों से विश्वासघात कर हस्ताक्षर करने के चलते 16 फरवरी 2019 को 20 वर्ष के वेतन समझौते को थोपने में सफल हो गया। सीटू, एटक, ए.टी.पी. व बी.ए.पी.एस.यू. यूनियनों ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर 10 वर्ष के वेतन समझोते को खारिज किया। इन यूनियनों ने एक ज्वायंट एक्शन कमेटी बनायी और आंदोलन का रास्ता पकड़ रैली, प्रदर्शन व दिन भर की भुख हड़ताल की।

आल इंडिया भेल कोआर्डिनेशन कमेटी की 12 फरवरी की बैठक के प्रस्त्राव के आधार पर भेल–त्रिची की सीटू यूनियन ने 28 फरवरी, 2019 को एक दिन की हड़ताल का नोटिस दिया। इसमें 4 माँगों – 10वर्ष के समझौते को वापिस लेने, 5 वर्ष के वेतन समझौते को अपनाने; माँग पत्र के आधार पर वेतन समझौते पुन वार्ता तथा सामुहिक सोदेबाजी के मजदूरों के अधिकार को मान्यता की माँग शामिल थी।

केवल भेल–त्रिची की सीटू यूनियन ने 20 फरवरी को हड़ताल का आहवान किया व प्रदर्शन किया। भेल की अन्य इकाईयों में भी सीटू यूनियनों ने इस माँगों पर प्रदर्शन किये।

उद्धरण

मोदी सरकार की पहचान– झूठे आँकड़े

''भारत के बहुत से संस्थानों पर मोदी सरकार द्वारा किये गये हमलों को नोट किया गया है, लेकिन भारत की साँख्यिकीय व्यवस्था की बर्बादी को पूरी तरह से पहचान या उसकी निंदा नहीं की गयी है।''*(जयति घोष, प्रोफेसर जे.एन.यू.)*

''नेशनल सैंम्पल सर्वे आर्ग्रेनाइजेशन (एन एस एस ओ) द्वारा अपने नये रोजगार सर्वे को रोकें जाने के विरोध में नैशनल स्टेटिस्टकल कमीशन (एन एस सी) के दो उच्च कर्मियों के इस्तीफे से आँकड़ों के जारी करने में सरकार के हस्तक्षेप की बढ़ती सूची और बड़ी हो गयी है। एक बात आम है– कि जब –जब ऐसे आँकड़े सरकार के सामने आते हैं जो उसकी खिलाफत करते हैं तो वह विरोधी रवैया अपनाती है।'' *(संपादकीय, इंडियन एक्सप्रेस, जनवरी, 2019)*

''इस तरह के अतिक्रमणों की सूची लंबी है, और हर दिन लंबी होती जा रही है। सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) आँकड़े की नई श्रृँखला के साथ घालमेल तब सामने आया जब सरकार के काम को पहले से बेहतर दिखाने के लिए उसमें छेड़छाड़ कर उसे सरकार की इच्छा के अनुरुप बनाने की कोशिश की गयी।'' *(जयति घोष)*

''नीति आयोग ने जी डी पी आँकड़ां की पिछली श्रृँख्ला को बहुत देर करने के बाद उसके आधार वर्ष को 2001–2005 से बदलकर 2011–12 कर दिया।'' केन्द्रीय साँख्यिकी अधिकारी, साँख्यिकी व कार्यक्रम कियान्वयन मंत्रालय ने यू पी ए सरकार के वर्षों के दौरान औसत वृद्धि को छाँट दिया और इस प्रकार भाजपा के चार वर्षों में वृद्धि दर को ज्यादा दिखा दिया। यह एन एस सी द्वारा नियुक्त कमेटी जिससे तीन महीने पहले ही 2004–05 से 2013–14 के दौर की रिपोर्ट दी थी से उलट है। विवाद में ताजा मोड़ तब आया जब यह सामने आयाकि दो वर्ष पूर्व सी एस ओ ने जी डी पी के लिए बैंक सिरीज डेटा को अंतिम रुप दे दिया था जिसमें यू पी ए के वर्षों में ज्यादा वृद्धि दिखायी पड़ी थी। लेकिन तब नीति आयोग ने इसे जारी करने की मंजूरी नहीं दी थी।'' *(इंडियन एक्सप्रेस)*

''विभिन्न तरह के आँकड़ों को सीधे जारी होने से रोक दिया गया है या अधिकारिक तौर पर उन्हें जारी करने से पहले उनकी मानमाफिक मरम्मत की जाती है। ऐसा सरकार की गंगा की सफाई की स्थिति रिपोर्ट से लेकर स्वच्छ भारत में इसकी पहल के वास्तविक नतीजों या उज्जवला योजना या ग्रामीण विद्युतीकरण अभियान सभी में हैं'' *(जयति घोष)*

''इस तरह का एक बदहवाश प्रयास, नये रोजगार का संकेत मानने के लिए ई पी एफ ओ के तरह पे रोल पंजीकरण के आँकड़ों का इस्तेमाल करने के रुप में किया गया। जैसाकि ई पी एफ ओ के निदेशक ने स्वयं स्पष्ट किया कि यह कई कारणों से गलत था और नये रोजगार सृजन के बारे में और यहाँ तक की औपारिक रोजगार की संख्या की भी सही जानकारी नहीं देता।'' *(जयति घोष)*

''यहाँ तक कि पारदर्शी मानी जाने वाली मनरेगा वेबसाइट के आँकड़ों में भी झूठ है जो इस तथ्य को छिपाने के लिए है कि औपचारिक रुप से काम की माँग पर भी सरकार काम प्रदान नहीं कर रही है।'' *(जयति घोष)*

''जैसा कि नोबल पुरस्कार विजेता ब्रिटिश अर्थशास्त्री रोनाल्ड हैरी कोज का कहना है,'' यदि आप आँकड़ों को बहुत देर तक यंत्रणा दोगे, तो वे कुछ भी कुबूल सकते हैं''। भारत के नजरिये से, आँकड़ों को जारी करने में बार–बार हस्तक्षेप से अधिकारिक रुप से सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी आँकड़ों के प्रति बाजार का विश्वास उठ जाने का खतरा है''। *(इंडियन एक्सप्रेस)*

''हाल ही में 108 अर्थशास्त्रियों व समाज विज्ञानियों के एक समूह ने साँख्यिकीय आँकड़ों में 'राजनीतिक हस्तक्षेप' के बारे में एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि सरकार'' बेचैन करने वाले आँकड़ों को दबाने'' की कोशिश कर रही है।'' *(द वॉयर)*

राज्यों से

पश्चिम बंगाल

पुलिस–गुंडों के आतंक के बावजूद

जूट मिल मजदूरों की विशाल राज्यव्यापी हड़ताल

हड़ताल को रोकने और तोड़ने के लिए पुलिस और टीएमसी के गुंडों के तमाम आतंक के बावजूद, ठेका एवं कैजुअल मजदूरों सहित 2 लाख से अधिक श्रमिकों ने यूनियन की सम्बद्धता से परे जाकर राज्य भर में 15 मार्च को सफल हड़ताल की। और राज्य भर में सभी 46 परिचालित जूट मिलों को पूरी तरह से ठप्प कर दिया। पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग की 10 यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर – बीसीएमयू, एआईजेडब्ल्यूएफ, एफसीएमयू, एआईएफजेडब्ल्यू, बीपीसीएमयू, पीबीसीएमएफ, बीजेएमडब्लूयू, जेटीडब्ल्यूयू और बीसीएमएम आदि ने पूरे जूट उद्योग को इस पड़ाव पर ला दिया है। यह हड़ताल सरकार के विश्वासघात के खिलाफ और मालिकान समर्थक समझौते को जबरन थोपने के प्रयास के खिलाफ थी।

राज्य की कुल 46 परिचालित जूट मिलों में से, 28 मिलों में मजदूर पूरी तरह से और शेष 18 मिलों में आंशिक रूप से, बहुमत की भागीदारी के साथ हड़ताल पर थे। हड़ताल के दिन मजदूर, घेराव, धरना–प्रदर्शन, और बैठकें करते हुए मिलों के गेटों पर रहे।

इंटक, एचएमएस, बीएमएस की यूनियनें, कुछ अन्य यूनियनों के साथ, सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी की यूनियन के साथ जाते हुए लागू हुए समझौते को स्वीकार कर लिया और हड़ताल का विरोध किया; इससे पश्चिम बंगाल में जूट श्रमिकों के हित के खिलाफ, टीएमसी–भाजपा–कांग्रेस के नेतृत्व वाली ट्रेड यूनियनों के रवैये से इनका गठबंधन उजागर हो गया है।

यह हड़ताल राज्य के जूट मजदूरों की 9 सूत्रीय माँगों को लेकर, सभी 21 यूनियनों के लंबे चले संघर्ष की परिणति थी। इस माँग–पत्र में न्यूनतम वेतन 18, 000 रुपये; महंगाई भत्ता 2.50 रुपये प्रति पॉइंट; .6, 000 रुपये पेंशन के रूप में; ठेका और बदली मजदूरों के लिए एक जैसे ही और समान काम के लिए समान वेतन; सभी बादली और विशेष बादली मजदूरों का नियमितीकरण; भविष्य में ऐसे वैधानिक बकाये की गैर–मौजूदगी की गारंटी के साथ पीएफ और ग्रेच्युटी के कारण सेवानिवृत्त मजदूरों के लंबे समय से संचित वैधानिक देय का तत्काल भुगतान; ईएसआई की मद में नियोक्ताओं पर बकाया राशि के परिणामस्वरूप मजदूरों को ईएसआई के लाभ से वंचित किया गया; वेतन/पगार के संबंध में ग्रेड और वेतनमान की शुरूआत; सभी ठेकाकर्मियों को नियमित करना आदि माँगें शामिल रही हैं।

चूंकि सरकार जवाब देने में विफल रही, सभी यूनियनों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल जो 15 मार्च से षुरू होनी थी, की सूचना दी। राज्य सरकार ने 26 फरवरी को त्रिपक्षीय बैठक बुलाई, आश्वासन दिया कि एक त्रिपक्षीय समझौता जल्द से जल्द होगा और यूनियनों से हड़ताल को स्थगित करने का अनुरोध किया। यूनियनों ने संयुक्त रूप से 15 मार्च तक अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित करने का फैसला किया और 15 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की, जब तक कि एक स्वीकार्य समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं।

13 मार्च को हुई एक त्रिपक्षीय बैठक में, सरकार ने अन्य मांगों की अनदेखी करते हुए, मात्र 2 रुपये की मामूली वृद्धि के साथ एक वेतन समझौते को थोपने का प्रयास किया। धोखाधड़ी पूर्ण समझौते को अस्वीकार करते हुए और और 2015 के समझौते के प्रावधानों को लागू करने में विफलता के लिए; 10 यूनियनों ने 13 मार्च को समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और 15 मार्च को एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया।

यूनियनों की हड़ताल की घोषणा के तुरंत बाद, टीएमसी के गुंडों और उसकी कठपुतली यूनियनों ने जूट मिल क्षेत्रों में मजदूरों को आतंकित करना शुरू कर दिया। सीटू और उसकी यूनियन, बीसीएमयू के नेतृत्व ने जूट मिलों और मजदूरों के आवासीय क्षेत्रों में मजदूरों के बीच दौरा किया और हड़ताल के लिए अभियान चलाया। सभी 46 जूट मिलों में हजारों मजदूरों ने पुलिस और

टीएमसी के गुंडों का बहादुरी से विरोध किया और इस हड़ताल को मुकम्मल बनाया। कई स्थानों पर पुलिस ने कठपुतली यूनियनों और सत्तारूढ़ दल के उपद्रवियों के साथ मिल गेट को जबरन खोलने की कोशिश की। लेकिन, मजदूर मुंह तोड़ जवाब देते हुए हड़ताल पर रहे।

हड़ताली संयुक्त ट्रेड यूनियनों के नेताओं ने सभी जूट मिल मजदूरों को इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए बधाई दी है और आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में जूट मजदूरों की जायज माँगों को लेकर संयुक्त संघर्ष को तेज करने की घोषणा की है

हड़ताली जूट मजदूरों के साथ सीटू का समर्थन और एकजुटता

सीटू के अखिल भारतीय केंद्र ने, 26 फरवरी को तुरंत ही, 9 सूत्रीय माँगों, जिनमें अधिकांशतः श्रम कानूनों और 2015 के त्रिपक्षीय समझौते को लागू करने को लेकर, राज्य के लगभग 2.5 लाख जूट मजदूरों द्वारा प्रस्तावित संयुक्त अनिश्चितकालीन हड़ताल को पूर्ण समर्थन और एकजुटता व्यक्त की।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) राज्य सरकार के संरक्षण में, जूट के गुंडों ने समझौते का उल्लंघन करते हुए, मजदूरों की अंधाधुंध और गैरकानूनी छंटनी/बर्खास्तगी; बड़े पैमाने पर ठेकेदारी जबकि स्थानीय टीएमसी गुंडों की मदद से स्थायी मजदूरों को मिलों से बाहर निकाला;सेवानिवृत्त मजदूरों को पीएफ, ग्रेच्युटी जैसे वैधानिक देय का भुगतान न करना; मजदूरों को अतिदेय महंगाई भत्ते का भुगतान न करना

पश्चिम बंगाल में जूट मिल मजदूरों के संघर्ष के प्रति अपने समर्थन और एकजुटता को दोहराते हुए, सीटू ने संबद्धता से परे जाकर, पश्चिम बंगाल के संघर्षरत जूट मिल मजदूरों द्वारा खड़े होने और एकजुटता जाहिर करने और हड़ताली श्रमिकों में कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान, पूरे ट्रेड यूनियन आंदोलन और मजदूर वर्ग से किया।

नगरपालिका मजदूरों का सम्मेलन

ऑल बंगाल म्युनिसिपल वर्कमैन्स फैडरेशन का 9वाँ सम्मेलन 23–24 फरवरी को माल्दा टाऊन में हुआ जिसमें पश्चिम बंगाल के 20 जिलों से 300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सीटू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्यामल चक्रवर्ती ने वर्तमान स्थिति की व्याख्या की और भाजपानीत केंद्र सरकार और टीएमसीनीत राज्य सरकार दोनों की मजदूर–विरोधी और जन–विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत बड़े और व्यापक आंदोलन और दोनों को हराने की आवश्यकता पर जोर दिया।

दीपक मित्रा ने महासचिव की रिपोर्ट में मजदूरों के मुद्दों और माँगों, आंदोलन और संगठन पर प्रकाश डाला। चर्चा में 37 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें 7 महिलाएँ और 6 सफाई कर्मचारी शामिल हैं। 13 प्रस्तावों को पारित किया गया।

सम्मेलन में 203 सदस्यीय राज्य परिषद, 93 सदस्य कार्य समिति और 37 पदाधिकारी चुने गए, जिनमें 10% सीटें महिलाओं और सफाई कर्मचारियों के लिए थीं, जिनमें फूल कुंडू को अध्यक्ष दीपक मित्रा को महासचिव चुना गया।

इस अवसर पर नगरपालिका के 1000 से अधिक मजदूरों का एक रंगारंग जुलूस शहर की सड़कों पर परेड करते हुए निकाला गया।

डब्ल्यू.बी.एम.ओ.ए. का शताब्दी समारोह

पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार के कर्मचारियों ने 21 फरवरी, 2019 को कोलकाता के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट हॉल में अपने संगठन की शताब्दी मनाई। पश्चिम बंगाल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन (डब्ल्यू.बी.एम.ओ.ए.) की स्थापना 100 साल पहले 1920 में हुई थी, ब्रिटिश शासन के दौरान देश में जब पहला केंद्रीय ट्रेड यूनियन बना था। ।

इस उत्सव की बैठक का उद्घाटन करते हुए, सीटू महासचिव तपन सेन ने कहा कि सरकारी कर्मचारी और मजदूर आंदोलन एक ही संघर्ष के दो भाग हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान और स्वतंत्रता के बाद की अवधि में उनके सौ साल के शानदार संघर्ष का संदेश, देश के संघर्षरत मजदूर वर्ग के बीच फैलाना होगा। जाने–माने वैज्ञानिक सुबिमल सेन ने कहा कि सांप्रदायिकता के बढ़ते प्रसार के खिलाफ एकजुट होने की तत्काल आवश्यकता है। सीटू के राज्य महासचिव अनादि साहू ने कहा कि मजदूर वर्ग के सामने बड़ी चुनौती जनविरोधी नीतियों और मजदूर विरोधी श्रम कानूनों को लागू करने के खिलाफ लड़ाई है। इन्हें मेहनतकशों के सभी वर्गों से एकजुट होकर सभी धमकियों और खतरों से पार पाना होगा।

पश्चिम बंगाल सरकार कर्मचारी संघ के महासचिव सुखेंदु कुंडू ने कहा कि कर्मचारियों की स्थिति अनिश्चित हो गई है; नियमित कर्मचारियों की कोई भर्ती नहीं है; ठेकाकर्मी न्यूनतम कामकाजी परिस्थितियों से भी वंचित हैं; संचित डीए का बकाया बढ़ रहा है; इन मुद्दों को उठाने पर स्थानांतरण और उत्पीड़न किया जाता है।

संगठन और आंदोलन के प्राकृत उत्तराधिकारी, बांग्लादेश सरकार कर्मचारी समन्वय समिति के महासचिव नोमानुजल आजाद अमान ने कहा कि बांग्लादेश में 15 लाख सरकारी कर्मचारी भी इसी तरह की स्थितियों का सामना कर रहे हैं; सामाजिक और आर्थिक विषमताएँ बढ़ रही हैं और इसका बोझ कामकाजी लोगों पर डाला जा रहा है; उनके अधिकारों पर अंकुश लगाया जा रहा है, काम को आउटसोर्स किया जा रहा है और बेरोजगारी बढ़ रही है। बांग्लादेश के सरकारी कर्मचारियों के अन्य नेता एम.ए. हन्नान, मोजामेल हक, सेलिम भुइंया और अन्य भी उपस्थित थे।

देबाला मुखर्जी, चित्त गुप्ता और मनिंद्र मैती अध्यक्ष मण्डल में थे। इससे पहले, कॉलेज स्ट्रीट में बैठक स्थल पर सूर्या सेन स्ट्रीट में संगठन के केंद्र से एक रंगारंग जुलूस निकाला गया था। *(सौजन्य से: गणशक्ति)*

दिल्ली - एनसीआर

सीटू दिल्ली–एनसीआर का 16वाँ राज्य सम्मेलन

17–18 मार्च को गाजियाबाद में हुए सीटू दिल्ली–एनसीआर के 16वाँ त्रिवार्षिक राज्य सम्मेलन में 219 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सीटू के महासचिव तपन सेन ने 8–9 जनवरी 2 दिनों की हड़ताल के महत्व, एक विकल्प के तौर पर मजदूरों के चार्टर और 17वीं लोकसभा के चुनाव में भाजपा को हराने की आवश्यकता के बारे में बताया। स्वागत समिति के अध्यक्ष राजीव रे ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

सीटू के राष्ट्रीय नेता ए.आर. सिंधु और एम.एल. मलकोटिया ने भी खुले सत्र को संबोधित किया। सम्मेलन की शुभकामना देने वाले बिरादराना संगठनों के नेताओं में ए.आई.एल.यू. के अशोक अग्रवाल, एडवा की मैमुना मोल्ला, ए.आईसी.सी.टी.यू. के संतोष, दिल्ली डेमोक्रेटिक फ्रंट के राजीव कंवर, डी.एस.एम.एम. के नत्थू प्रसाद, जन नाट्य मंच के अशोक तिवारी, ए.आई.ए.डब्ल्यू.यू. के विक्रम सिंह शामिल हैं।

अनुराग सक्सेना ने गतिविधियों पर 3 साल की समीक्षा और आंदोलन एवं संगठन पर तथा अगले 3 साल के कार्यों के बारे में महासचिव की रिपोर्ट को पेश किया। चर्चा में 32 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बहस के जवाब के बाद, रिपोर्ट को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

सम्मेलन ने न्यूनतम मजदूरी, श्रम प्रवर्तन और सामाजिक सुरक्षा कानूनों पर, बढ़ते ठेकेदारीकरण, मूल्य वृद्धि के खिलाफ; साम्राज्यवाद, सांप्रदायिकता और जातिवाद के खतरे; महिलाओं के शोषण के खिलाफ; सड़क विक्रेताओं और अन्य विभिन्न असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, निर्माण मजदूरों, योजनाकर्मियों के मुद्दे; किसानों के मुद्दे आदि पर कई प्रस्तावों को पारित किया गया।

सम्मेलन ने एक 47 सदस्यीय राज्य समिति (भविष्य में नामांकन हेतु 3 रिक्तियों सहित) का चयन किया, जिसमें अध्यक्ष के रूप में वीरेंद्र गौड़ और महासचिव के रूप में अनुराग सक्सेना के साथ 15 पदाधिकारियों को चुना।

सिंधु द्वारा संघर्ष को तेज करने और सदस्यता और संगठन को व्यापक बनाने के स्पष्ट आह्वान के साथ सम्मेलन संपन्न हुआ।

तमिलनाडु

आंदोलन

ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमले और उत्पीड़न के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध

केमप्लास्ट, रॉयल एनफील्ड, प्राइसोल और वेंगरलाइट में मजदूरों के उत्पीड़न और उनके ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमलों के खिलाफ; सीटू राज्य समिति ने 21 फरवरी को राज्यव्यापी मजदूरों के विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। मेट्टूर–सलेम में केमप्लास्ट

ने 8–9 जनवरी को अखिल भारतीय सामान्य हड़ताल में भाग लेने के लिए 99 इंटर्न को निकाल दिया; रॉयल एनफील्ड ने नवगठित यूनियन के पदाधिकारियों को स्थानांतरित किया; और प्राइसोल ने कोयम्बटूर में 302 मजदूरों को बर्खास्त कर दिया।

प्रदर्शनों का आयोजन 26 जिलों में किया गया, जिसमें 3757 मजदूर शामिल हुए, जिनमें 353 महिलाएँ शामिल थीं; 28 फ्लेक्स बोर्ड प्रदर्शित किए गए, 1600 पोस्टर चिपकाए गए और 17,000 पर्चे वितरित किए गए। सीटू सलेम जिला समिति ने कलेक्ट्रेट में 600 मजदूरों के शामिल होने से पहले एक दिवसीय धरने का आयोजन किया।

आतिशबाजी और पटाखा उद्योग को बंद करने के खिलाफ प्रदर्शन

प्रदूषण के आधार पर आतिशबाजी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तमिलनाडु में पटाखे की फैक्ट्रियों, वर्कशॉप और कई सहायक उद्योगों को बंद कर दिया गया और लगभग एक लाख मजदूरों को अपनी आजीविका खोनी पड़ी। सीटू, मजदूरों की आजीविका को बचाने के लिए आंदोलन की श्रृंखला आयोजित कर रहा है। इसकी जिला कमेटियों ने प्रदर्शनों का आयोजन किया, विरोध स्वरुप सिटी सेंटर में भोजन के भण्डारे का आयोजन किया और राज्य कमेटी ने 21 फरवरी को राज्यव्यापी विरोध के लिए इस मुद्दे को भी उठाया।

बीड़ी मजदूरों का प्रदर्शन

तमिलनाडु बीड़ी वर्कर्स फेडरेशन के आह्वान पर प्रतिक्रिया देते हुए, बीड़ी मजदूरों ने 13 फरवरी को वेल्लोर, तिरुनेलवेली, उत्तर चेन्नई और इरोड में जिला कलेक्टरों के समक्ष, बीडी पर जीएसटी के खिलाफ विरोध किया और सभी मजदूरों चाहे जो भी लिंग हो को, पेंशन के रूप में रु० 3,000, आई.डी. कार्ड देने मांग की, कल्याण बोर्ड को पर्याप्त धन, मकान बनाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन और अन्य जायज माँगों को लेकर प्रदर्शन किये।

कपड़ा मजदूरों का आंदोलन

तमिलनाडु टेक्सटाइल वर्कर्स फेडरेशन के आह्वान पर, टेक्सटाइल मजदूरों के लिए वेतनवार्ताऐं आरम्भ करने, शोषण को रोकने के लिए और महिला मजदूरों की सुरक्षा के लिए, कैम्प कुली और सुमंगली योजनाओं को समाप्त करने को लेकर टेक्सटाइल मजदूरों ने कोयंबटूर, इरोड तिरुपुर, करूर, सलेम, धर्मपुरी, कन्याकुमारी, नेल्लई, विरुधुनगर, डिंडीगुल और थेनी में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किये।

ऑटो के बीमा शुल्क में वृद्धि को वापस लेने के लिए आंदोलन

ऑटों के लिए बीमा प्रीमियम में बढ़ोतरी के खिलाफ 15 फरवरी को 3,000 ऑटो मजदूर, तमिलनाडु ऑटो वर्कर्स फेडरेशन के नेतृत्व में राज्यव्यापी प्रदर्शन में शामिल हुए। 1973–2012 के दौरान बीमा प्रीमियम केवल रु० 1,633 था। उसके बाद बीमा प्रीमियम लगातार बढ़ रहा है। 2013 में – रु० 3053; 2015 में – रु० 4,475; 2018 में – रु० 7,632 और 2019 में भाजपा की मोदी सरकार ने इसे बढ़ाकर रु० 1,2500 कर दिया।

पावरलूम वर्कर्स का प्रदर्शन

राज्यव्यापी आंदोलन के आह्वान के जवाब में, पावर लूम के मजदूरों ने न्यूनतम वेतन के रूप में रु० 18,000, पेंशन के रूप में रु० 6,000, ओवरटाइम वेतन, श्रम कानूनों का कार्यान्वयन, आदि की माँगों को लेकर, कोयंबटूर, तिरुपुर, सलेम, धर्मपुरी, नामक्कल, तिरुवल्लुर, थेनी और नेल्लई के जिला मुख्यालयों पर 26 फरवरी को प्रदर्शन किये।

मवेशी गाड़ी जुलूस

पांडिचेरी प्रदेश सीटू ने 25 फरवरी को एक मवेशी गाड़ी जुलूस निकाला, जिसमें लगभग 350 मवेशी गाड़ियां शामिल हुई, रेत खदानों को फिर से खोलने और मवेशियों की गाड़ियों द्वारा अपलोड करने और मवेशी गाड़ी चालकों के खिलाफ फर्जी मामले वापस लेने की मांग की गई। जुलूस को बाद में पशु गाड़ियों को सौंपने के आंदोलन में बदल दिया गया। *(द्वारा: के.सी. गोपीकुमार)*

अंतरष्ट्रीय

अमेरिका व उसके मित्र राष्ट्रों के आक्रमण के खिलाफ; तथा वेनेजुएला की जनता के साथ एकजुटता के लिए

मजदूरों का कन्वेंशन

वेनेजुएला में हाल ही में जनता के भारी बहुमत से चुने गये वामपंथी सरकार के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो का तख्ता पलट करने के लिए वेनेजुएला के विरुद्ध अमेरिका व उसके मित्र राष्ट्रों के बढ़ते आक्रमण की पृष्ठभूमि में; भारत में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस (वुफ्टू) से संबद्ध केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों – सीटू, एटक, ए.आई.यू.टी.यू.सी., एक्टू, यू.टी.यू.सी., टी.यू.सी.सी. और फेडरेशनों – ए.आई.एस.जी.ई.एफ., बी.एस.एन.एल.ई.यू., सी.सी.ई.डब्ल्यू., ए.आई.आई.ई.ए. व बेफी ने संयुक्त रुप से ''साम्राज्यवादी आक्रमण के खिलाफ वेनेजुएला की जनता के साथ एकजुटता में'' 19 मार्च, 2019 को नई दिल्ली के बी.टी.आर. भवन के खचाखच भरे सभागार में मजदूरों के कन्वेंशन का आयोजन किया।

कन्वेंशन के अध्यक्षमंडल में सीटू के राष्ट्रीय सचिव व वुफ्टू के उपमहासचिव स्वदेश देव रॉय ; एटक की बी.वी. विजयलक्ष्मी ; एक्टू के सन्तोष रॉय व ए.आई.यू.टी.यू.सी. के एम. चौरसिया शामिल थे। कन्वेंशन को एटक की महासचिव अमरजीत कौर, सीटू महासचिव तपन सेन , एक्टू के राजीव डिमरी ; तथा ए.आई.यू.टी.यू.सी. के आर. के. शर्मा ने संबोधित किया।

कन्वेंशन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने वेनेजुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप व मौजूदा स्थिति ; अंतराष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के नवउदारवादी हमले के चरण में वर्तमान आक्रमण के साम्राज्यवादी चरित्र ; वेनेजुएला के तेल भंडारों के जैसे लतीनी अमरीकी देशों के प्राकषतिक संसाधनों पर कब्जा करने के लिए वहाँ की सरकारों को अस्थिर करने के लिए सैन्य हस्तक्षेप समेत बार–बार किये अमेरिकी हस्तक्षेपों के इतिहास की चर्चा की।

कन्वेंशन ने वेनेजुएला की जनता पर अमेरिका व उसके मित्र देशों के द्वारा आक्रमण की भर्त्सना और वेनेजुएला के साथ भारत के मजदूर वर्ग की एकजुटता जाहिर करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया। कन्वेंशन ने वेनेजुएला की संप्रभुता और अपने राजनीतिक नेतृत्व का फैसला करने के वेनेजुएला की जनता के अधिकार के पक्ष में स्पष्ट रुप से खड़े व होने के लिए और इस तरह भारत की सुस्थापित विदेश नीति से हटने के भाजपानीत मोदी सरकार की निंदा की। अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते , वेनेजुएला से तेल के आयात को लेकर भारत का अपना राष्ट्रीय हित भी चपेट में आ रहा है।

कन्वेंशन ने भारत सरकार से माँग की कि वह वेनेजुएला की जनता के साथ लम्बी दोस्ती और आपसी सहयोग की विदेश नीति पर पुनः जोर दे; और वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आह्वान के आगे घुटने न टेके।

कन्वेंशन ने भारत के मजदूर वर्ग और उसकी देशभक्त जनता से वेनेजुएला की जनता के समर्थन में जन–लामबंदी की अपील की। वुफ्टू से संबद्ध ट्रेड यूनियनों का एक प्रतिनिधिमंडल 22 मार्च को वेनेजुएला की नवनियुक्त राजदूत सुश्री कोरोमोतो से मिला और उन्हें पारित प्रस्ताव सौंपा।

प्रस्ताव

हम, भारत की वर्गीय रुप से उन्मुख भारत के मजदूर वर्ग के भारी बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाली व वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस से संबंध ट्रेड यूनियनें 19 मार्च, 2019 को नई दिल्ली के बी टी आर भवन में आयोजित इस कन्वेंशन में मजबूती व स्पष्ट रुप से –

बोलिवारियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला के अंदरुनी मामले में दखल देने ; उसकी जनता के संप्रभु अधिकारों को समाप्त करने में दूसरे देशों के अंदरुनी मामलों में दखल की आपराधिक परंपरा को जारी रखने के लिए अमरीकी नेतृत्व वाले साम्राज्यवादी आक्रमण की निंदा करते हैं। यह कन्वेंशन –

- घोषणा करता है कि अमेरिका व उसके मित्र राष्ट्रों द्वारा जनतांत्रिक रुप से चुनी हुई मादुरो सरकार के खिलाफ सुनियोजित अभियान , वहाँ सत्ता के दो केन्द्र बनाना ''कूटनीतिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन'' के पूरी तरह से खिलाफ है। यह न केवल अवैध , गैरजरुरी व गैर लोकतांत्रिक है बल्कि साम्राज्यवादी आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए वेनेजुएला की संप्रभुता को खतरे में डालने के लिए वहाँ ग्रहयुद्ध की स्थिति पैदा कर देने की रणनीति का हिस्सा है।
- याद करता है कि अमेरिका ने 2002 में भी जन नेता ह्यूगो शावेज के खिलाफ भी तख्ता पलट की कोशिश की थी और वेनेजुएला पर उसके द्वारा अमानवीय प्रतिबंध जारी है।
- अमेरिका द्वारा अंतराष्ट्रीय कानूनों का खूलेआम उल्लंघन करते हुए वेनेजुएला की राज्य तेल कंपनी (पी.डी.वी. एस.ए.) की 7 अरब डॉलर की संपत्ति को फ्रीज करने, वेनेजुएला की राज्य संपत्ति को ब्रिटेन की पहुँच में देने, वैध रुप से चुनी गई मादुरो सरकार को बैंक ऑफ इंगलैंड में जमा 1.2 अरब डॉलर के सोने के वापस लेने में रुकावट पैदा करने के लिए अमेरिकी कदमों की निंदा करता है।
- वेनेजुएला की संप्रभुता की रक्षा के लिए और अपने राजनीतिक नेतृत्व का फैसला करने के उसकी जनता के अधिकार की हिमायत में खुलकर सामने आने से इनकार कर भारत की लोकप्रिय विदेश नीति में तोड़–मरोड़ के लिए मोदी सरकार की भर्त्सना करता है। यही नही, अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते वेनेजुएला से तेल लेने के भारत के राष्ट्रीय हित को भी नुकसान पहुँच रहा है।
- माँग करता है कि भारत सरकार, वेनेजुएला की जनता के साथ मित्रता व आपसी सहयोग की लम्बे समय से चली आ रही विदेश नीति पर पुनः जोर दे और वेनेजुएला के विरुद्ध डोनाल्ड ट्रॅप के आह्वान के आगे समर्पण न करे।
- मजबूती से विश्वास करता है कि वेनेजुएला की जनता व वहाँ के मजदूर वर्ग द्वारा साम्राज्यवादी कोशिशों को विफल कर दिया जायेगा साथ ही वेनेजुएला की जनता को साम्राज्यवादी आक्रमण के विरुद्ध बहादुरी से लड़ने, देश की संप्रभुता व जनतांत्रिक तरीके से चुने गये राष्ट्रपति मादुरो की रक्षा के लिए उन्हें बधाई देता है।
- हम, बोलिवारियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला की चुनी हुई सरकार के खिलाफ प्रतिद्धद्धी समूह का समर्थन करने व गलत व भ्रामक प्रचार के लिए अंतराष्ट्रीय व भारतीय मीडिया की भर्त्सना व निंदा करते है। यह मीडिया दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने में साम्राज्यवादी ताकतों की मदद करता है जैसा कि पूर्व में कितनी बार देखा गया है।

अंत में, कन्वेंशन भारत के मजदूर वर्ग व देशभक्त जनता से अपील करता है कि वे वेनेजुएला की जनता के समर्थन में जन–लामबंदी करें।

भारत के मजदूर वर्ग की ओर से

एटक, सीटू, ए.आई.यू.टी.यू.सी., एक्टू, टी.यू.सी.सी, यू.टी.यू.सी.,

औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2001=100

नं. 112/6/2006–एनसीपीआई

राज्य	केंद्र	दिसम्बर 2018	जनवरी 2019	राज्य	केंद्र	दिसम्बर 2018	जनवरी 2019
आंध्र प्रदेश	गुण्टूर	284	288	महाराष्ट्र	मुम्बई	297	300
	विजयबाड़ा	288	292		नागपुर	362	383
	विशाखापत्तनम	289	292		नासिक	336	353
असम	डुमडुमा तिनसुखिया	269	272		पुणे	320	330
	गुवाहाटी	261	271		शोलापुर	315	320
	लबक सिल्वर	268	268	उड़ीसा	आंगुल–तालचेर	317	327
	मरियानी जोरहाट	253	256		राउरकेला	309	307
	रंगापारा तेजपुर	249	248	पांडिचेरि	पांडिचेरि	310	311
बिहार	मुंघेर–जमालपुर	328	336	पंजाब	अमृतसर	314	327
चण्डीगढ़	चण्डीगढ़	301	305		जालन्धर	312	318
छत्तीसगढ़	भिलाई	322	323		लुधियाना	287	289
दिल्ली	दिल्ली	283	292	राजस्थान	अजमेर	278	284
गोआ	गोआ	319	325		भीलवाड़ा	281	281
गुजरात	अहमदाबाद	280	278		जयपुर	285	297
	भावनगर	293	294	तमिलनाडु	चेन्नै	274	279
	राजकोट	289	295		कोयम्बटूर	280	286
	सूरत	266	266		कुन्नूर	315	325
	वडोदरा	270	272		मदुराई	287	291
हरियाणा	फरीदाबाद	271	270		सेलम	289	292
	यमुना नगर	288	290		तिरुचिरापल्ली	290	298
हिमाचल	हिमाचल प्रदेश	265	266	तेलंगाना	गोदावरीखानी	311	319
जम्मू एवं कश्मीर	श्रीनगर	270	273		हैदराबाद	255	257
झारखण्ड	बोकारो	292	294		वारंगल	308	314
	गिरिडीह	329	340	त्रिपुरा	त्रिपुरा	259	259
	जमशेदपुर	346	348	उत्तर प्रदेश	आगरा	344	348
	झरिया	345	358		गाजियाबाद	321	332
	कोडर्मा	372	380		कानपुर	323	333
	रांची हटिया	364	375		लखनऊ	315	325
कर्नाटक	बेलगाम	299	304		वाराणसी	314	322
	बेंगलुरु	293	294	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	325	329
	हुबली धारवाड़	318	323		दार्जिलिंग	277	273
	मरकरा	306	309		दुर्गापुर	320	322
	मैसूर	305	311		हल्दिया	329	335
केरल	एर्णाकुलम/अलवई	308	314		हावड़ा	280	278
	मुण्डाक्याम	305	309		जालपाईगुड़ी	279	277
	क्विलोन	349	362		कोलकाता	283	284
मध्य प्रदेश	भोपाल	313	322		रानीगंज	279	289
	छिंदवाड़ा	292	297		सिलीगुड़ी	273	269
	इंदौर	272	277	अखिल भारतीय सूचकांक		**301**	**307**
	जबलपुर	307	316				

सीटू का मुखपत्र

सीटू मजदूर

ग्राहक बनें

- व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए – वार्षिक ग्राहक शुल्क – रू0 100/–
- एजेंसी – कम से कम पाँच प्रतियों; 25% छूट कमीशन के रूप में;
- भुगतान – चेक द्वारा – ''सीटू मजदूर'' जो कनारा बैंक, डीडीयू मार्ग शाखा, नई दिल्ली–110002 पर देय

  बैंक मनी ट्रांसफर द्वारा – एसबीए/सीन0 0158101019568;
  आइएफसीकोड : सीएनआरबी 0000158;
- संपर्कः ई मेल/पत्र की सूचना के साथ
  प्रबंधक, सीटू मजदूर, सीटू केन्द्र, बी टी आर भवन,
  13 ए राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002; ईमेलः citubtr@gmail.com
  फोनः (011) 23221306 फैक्सः (011) 23221284

असम में मजदूर-किसान अधिकार यात्रा

सीटू और ए.आई.के.एस. की असम राज्य कमेटियों ने 26 फरवरी से 7 मार्च के बीच राज्यव्यापी संयुक्त अधिकार यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया और मजदूरों, किसानों और जनता के राष्ट्रीय और राज्य के मुद्दों को उठाते हुए भाजपा को हराने का आह्वान किया।

डिब्रूगढ़ जिले के चाबुआ में अधिकार यात्रा का एक हिस्सा

सीटू दिल्ली–एनसीआर का 16वां राज्य सम्मेलन

(रिपोर्ट पृ. 22)

Posted at NDPSO New Delhi- 1 Postal Regd. No. DL(C)-01/1201/18-20 20 RNI No. 34666/79: 6th-7th of every month Licensed to Post without prepayment under License No.U(C)-38/2018-20 (Date of Publication - 05/04/2019)

वेनेजुएला के साथ एकजुटता में भारतीय मजदूर

(रिपोर्ट पृ. 24)

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभा

(रिपोर्ट पृ. 13)

सीटू अध्यक्ष के. हेमलता काकीनाडा (आन्ध्र प्रदेश) में सभा को सम्बोधित करते हुए

तपन सेन द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिए मुद्रित और प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए–21 झिलमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली–95 से मुद्रित तथा बी टी रणदिवे भवन, 13–ए राउज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002 से प्रकाशित (फोनः 23221288, 23221306; http://www.citucentre.org, CITU email: citu@bol.net.in, citubtr@gmail.com) सम्पादक : **के हेमलता**